अनुक्रमणिका

अनु क्र.	अध्याय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	
1.		
2.	संगठन की भूमिका और कार्य	
3.	संगठन की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	
4.	प्रशासन, बजट और अवसंरचना	
5.	विभागीय परीक्षण केन्द्र और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	
6.	ई-गवर्नेन्स	
7.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की महत्वपूर्ण बैठके-संगोष्ठी-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं	
8.	सेवाओ में एससी/एसटी/ओबीसी/एक्स-सर्विसमेन तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	
9.	सतर्कता की गतिविधियां	
10.	राजभाषा का प्रयोग	
11.	अनुज्ञप्त /अनुमोदित परिसरों का निरीक्षण	
12.	दुर्घटना की जाँच	
	परिशिष्ट	
1	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा	
2	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	
3	संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद	
4	वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटको का उत्पादन	
5	विस्फोटकों का आयात एवं निर्यात	
6	विस्फोटको का निस्तारण	
7	उत्पादन, आयात और निर्यात (गैस सिलेण्डर तथा वॉल्व)	
8	एलपीजी तथा ऑटो एलपीजी सिलेण्डरों के लिए वॉल्व के विनिर्माताओं की सूची	
9	एलपीजी सिलेण्डरों, एलपीजी रेगूलेटरों तथा मल्टी फंक्शन वॉल्व के अलावा एलपीजी सिलेण्डरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
10	ऑटो एलपीजी कंटेनरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
11	मान्यता प्राप्त स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र(अ)नियम, 1981 के अंतर्गत दाबपात्रों के स्टेजवाईस निरीक्षणों के लिए नए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजन्सियाँ	
12	एसएमएस विनिर्माताओं की सूची	
13	पेट्रोलियम वेसल्स का परीक्षण तथा कोर्ट हाजिरी	
14	रिफायनरी का कार्य	

अध्याय 1

प्रस्तावना

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व मे विस्फोटक विभाग) दिनांक 09.09.1898 को स्थापित किया गया था जो प्रारंभ से ही जोखिम वाले, जैसे विस्फोटक विनिर्माण, संपिडित गैसों तथा पेट्रोलियम से संबंधित परिसरों के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है । इस संगठन ने जोखिम वाले पदार्थों के विनिर्माण/परिष्करण, भण्डारण, परिवहन, हैण्डलिंग, आदि के सुरक्षा से संबंधित विषयों में एक सदी से भी अधिक समय से एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है । संगठन ने अस्सी के दशक के अंतिम वर्षो तक अपने सामान्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त जन सुरक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी स्वेच्छापूर्वक उत्कृष्ट स्तर की भूमिका निभाई है जिनमें विस्फोटकों का परिक्षण एवं डिस्पोजल, इम्प्रोवाईज्ड विस्फोटक डिवाइसेस शामिल हैं । इनमें से कुछ देश के स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों आदि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के थे । पिछले सदी के अंतिम दशक तक इस संगठन के अधिकारियों ने पूरे भारत वर्ष में एन्टी-सैबोटेज-चेक एवं अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं विभिन्न एयरपोर्टो की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा किया । इस संगठन ने देश के पुलिस/सुरक्षा एवं गुप्तचर कर्मियों को विस्फोटकों/विस्फोटक डिवाइसेस एवं अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने, उनके परीक्षण व उनके डिस्पोजल के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि इस तरह की कोई अन्य एजंसी इस देश में नही थी । पिछले कई वर्षों में इस संगठन की गतिविधियों में कई गुना बढोत्तरी तथा अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है । वर्तमान में यह संगठन विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिडित गैसों, दाब पात्र, गैस सिलेण्डरों, पेट्रोलियम/ संपिडित गैसों की पाईपलाईन्स, एलएनजी, सीएनजी, ऑटो एलपीजी आदि से जुडे व्यापक विषयों का कार्यभार संभाल रहा हैं ।

यह संगठन जिसमें लगभग 94 अधिकारी ही वर्तमान में कार्यरत है और आकार में अनेक सरकारी विभागों से काफी छोटा होने के उपरांत भी एक ऐसा संगठन है जो सीधे रूप में 2.24 लाख से भी अधिक जोखिम वाले परिसरों की सुरक्षा में कार्यरत है तथा अनेक उद्योगों और उपयोगकर्ता कंपनियों को तकनीकी एवं सुरक्षा मार्गदर्शन देता हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालयों, रेलवे, जहाजरानी, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रतिष्ठान समाहित हैं ।

प्रारंभ में इस संगठन का दायित्व विस्फोटक अधिनियम (1884 का 4) को लागू करना था, जिसमें उस समय मौजूद विस्फोटक भंडारण मैगजीनों का निरीक्षण तथा विस्फोटको के भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच तक ही सीमित था । इसके उपरांत दिनांक

17.02.1899 को लागू पेट्रोलियम अधिनियम (1899 का 8) तथा दिनांक 11.08.1899 को इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कैलशियम कार्बाईड नियमों का अनुपालन भी इस विभाग को सौंपा गया । उस समय भारत के अनेकों राज्यों में लागू अलग-अलग प्रावधानों के कारण पेट्रोलियम अधिनियम व इसके अंतर्गत आनेवाले नियमों का अनुपालन कठिन हो गया था ।

उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने एवं पूरे देश में इन नियमों के संबंध मे एक समानता लाने के उद्येश्य से चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोझिव्स ने नये नियमों को लागू करने का प्रयास किया जो कि सभी की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप थे । अंतत: दिनांक 30.03.1937 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को अनुसूचित किया गया जिसने उस समय लागू विभिन्न राज्यों व केन्द्र के नियमों को समाप्त कर दिया । दिनांक 18.03.1937 को एक समेकित कैलशियम कार्बाईड नियम भी लागू किया गया । अपने देश की स्वतंत्रता के उपरांत जोखिम परंतु उपयोग वाली सामग्री जैसे विस्फोटक, पेट्रोलियम आदि को भारत गणराज्य की युनियन सूची में स्थान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात पेट्रोलियम नियम 1937 को सम्यक रूप से पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर पेट्रोलियम नियम, 1976 लागू किये गये जिन्हे वर्तमान परिस्थितियों, नई तकनीक के आ जाने तथा राज्यसभा की कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुये नये पेट्रोलियम नियम 2002 लागू किए गए ।

इस लंबे समय के बाद विस्फोटक नियमों में भी कई बदलाव एवं संशोधन किये गये जिसके कारण विस्फोटक नियम 1918 को विस्फोटक नियम 1940 द्वारा पुनरीक्षित किया गया, जिन्हे पुन: विस्फोटक नियम 1983 के द्वारा बदला गया । उपरोक्त नियमों को पुन: बृहत रूप से समालोचित कर विस्फोटक नियम 2008 दिनांक 29.12.2008 से लागू किए गए है ।

वर्ष 1952 में ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 लागू हुआ । गैस सिलेण्डर नियम जो मूलतः 1940 में बनाए गये थे, उन्हे नए बृहत गैस सिलेण्डर नियम 1981 से प्रतिस्थापित किया गया । भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण दिनांक 21/08/2004 से लागू इन नियमों को पुन: पुनरीक्षित कर नए गैस सिलेंडर नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

अज्वलित दाब पात्र में प्रपुंज संपिडित गैसों के दाब पात्र में सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन हेतु पहली बार स्थिर तथा गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम 1981 को देश में लागू किया गया । नये क्षेत्र जैसे क्रायोजेनिक लिक्विड्स, ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन, आदि को समाहित करने हेतु इन नियमों को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया गया ।

इस संगठन ने अपनी जटिल कार्यप्रणाली व संवर्धित उत्तरदायित्वो जिनमें इस विशाल देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रावधानो को लागू करना शामिल है, को सुचारू रूप से अनुपालन किये जाने तथा कार्यप्रणाली को आधुनिक रूप देने हेतु सूचना प्रौद्यौगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपकरणों /मोडयुलो का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप इस संगठन के सभी कार्यालयों का एक नेटवर्क, जिसका सेंट्रल सर्वर नागपुर में स्थापित है, गठित किया गया है । साथ ही संगठन के सभी डाटा

बेस को डिजीटाईज्ड कर आम जनता की पहुँच इस डाटा बेस तक उपलब्ध कराई गई है । संगठन की वेबसाईट पर सभी जनसदस्य अपने आवेदनो की स्थिति जान सकते है । इस संगठन का उद्येश्य आधुनिक तकनीक, नई कम्प्युटरीकृत कार्यप्रणाली, उन्नत मानवशक्ति का उपयोग कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देकर अपने आप को एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करना है । जिस तरह सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित उद्योंगो, विभिन्न सरकारी विभागो/संस्थानो तथा स्वायत्त निकायों द्वारा जोखिम वाले पदार्थों के हैण्डलिंग में संगठन की सलाह मांगी जाती है, उससे सदी में संगठन द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है ।

सबसे कुशल तकनीकी कार्य बल, काम करने की अनुकूल स्थिति, सक्रिय दृष्टिकोण, ज्ञान **संवर्धन की जिज्ञासा** में उन्नयन, आईटी तकनीक का परिनियोजन और समस्त सुरक्षा की सेवा हेतु समर्पण से युक्त होने के फलस्वरूप आने वाले वर्षो में संगठन उत्कृष्टता की नई उँचाईयां छूने के लिए तैयार है ।

टी. आर. तोमस
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

अध्याय 2

संगठन की भूमिका और कार्य

अग्नि और विस्फोटों से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक संविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम,1952 तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैः-

2.1: वैधानिक भूमिका

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 :</u>

1. विस्फोटक नियम, 2008
2. गैस सिलेन्डर नियम, 2004
3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981
4. एसिटिलिन जनरेटर से संबंधित अधिसूचना सं. जीएसआर 625(ई) दि.07.08.1983

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 :</u>

1. पेट्रोलियम नियम, 2002
2. कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987
3. चलचित्र फिल्म नियम, 1948

उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के संचालन से संबंधित संगठन की गतिविधियों को संक्षेप मे निम्नानुसार वर्णित किया गया है :-

2.1.1: <u>विस्फोटक नियम, 2008</u>

विस्फोटकों के विनिर्माण, प्राधिकरण, भण्डारण, आयात/निर्यात, सडकों से परिवहन और उनके पैकेजिंग, आदि के लिए अनुमोदन, अनुज्ञप्ति जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख

कार्य हैं जिसमें उपकरणों और मशीनों सहित विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए सुरक्षित प्रणालियों और तरीकों का निर्धारण किया जाता हैं । संगठन विस्फोटकों से जुडे दुर्घटनाओं की जांच करता हैं और जन सुरक्षा के हित में अनुपयोगी /जब्त विस्फोटकों का नष्टीकरण करता हैं ।

संगठन अनुज्ञप्ति/अनुमोदन जारी करते समय नए परिसरों के सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण तथा सुरक्षा जांच करता हैं तथा अनुज्ञप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी करता हैं ।

2.1.2: **गैस सिलेण्डर नियम, 2004**

भारत सरकार की अधिसूचना सं. एम-1272(1) दि. 28 सितम्बर 1938 में पहली बार गैस सिलेण्डर नियम प्रकाशित हुए थे जिसमे यह घोषित किया गया कि कोई भी गैस जो मेटल कंटेनर मे संपीडित या द्रवित रूप मे अंतर्विष्ट है, वह विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत- विस्फोटक हैं । स्वतंत्रता के पश्चात गैस उद्योग मे विकास के मद्देनजर व्यापक पुनरीक्षण के पश्चात उपरोक्त नियम गैस सिलेण्डर नियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है । अस्सी और नब्बे के दशक मे गैस उद्योग एवं इससे जुडे उद्योगो के कारण महापुंज विस्तार हुआ, जिसका कारण आर्थिक उदारीकरण एंव वैश्वीकरण, एलपीजी का घरेलु एवं औद्योगिक ईंधन के रूप मे उपयोग, पर्यावरण संरक्षित आटोमोटिव ईंधन के रूप मे सीएनजी और एलपीजी का परिचय, नई तकनीक, आदि का आगमन जिसके परिणाम स्वरूप संशोधन कर नया गैस सिलेण्डर नियम, 2004 बनाया गया ।

इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित है:-

सिलेण्डर, वॉल्व, एलपीजी रेगुलेटरो के विनिर्माण इकाइयो को अनुमोदन प्रदान करना तथा इन उपकरणो का डिजाईन अनुमोदन, गैस भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन्स, सिलेण्डर भण्डारण परिसरो तथा सिलेण्डरो/ वॉल्व के आयात का अनुज्ञप्तिकरण, सिलेण्डर भरण अनुमति, सिलेण्डर परीक्षण केन्द्र, आदि को मान्यता, सिलेण्डरो, वॉल्व, रेगुलेटरो, आदि के मानको के बनाने मे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । संगठन इन नियमो के अनुपालन को सुनिश्चित कर सुरक्षा जागृकता लाने के उद्देश्य से गैस इन्स्टॉलेशन, भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, सिलेण्डर, वॉल्व तथा रेगुलेटर विनिर्माण इकाइया, आदि जो उपरोक्त नियमो के अंतर्गत अनुमोदित/अनुज्ञप्त है, की नियमित रूप से संपरीक्षा करता है ।

नियमो के विनियमन तथा सरलीकरण के संदर्भ मे गैस सिलेण्डर नियम, 2004 की मुख्य विशेषताएँ हैं :-

क 2500 लि. क्षमतावाले स्पेशल कंटेनरो तथा नॉन-मेटालिक मटेरियल से बने कंपोजिट सिलेण्डरों को गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत लाने के लिए इन नियमों की व्याप्ती बढाना।

ख भरे हुए सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञप्ति रखने की छूट की सीमा बढाना और अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा नवीकरण की अवधि बढाना ।

ग भरण संयंत्र के निर्माण, सिलेण्डरो के एक गैस सर्विस से दूसरे मे परिवर्तित करना तथा अविषैली अज्वलनशील गैसो का सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सिलेण्डर-भरण तथा इन सभी के लिए विनिर्देशो तथा प्लान के पूर्वानुमोदन की जरूरतो को पूर्ण करना ।

घ अनुज्ञप्तीधारक की मृत्यु या स्वामित्व बदलने पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

2.1.3: **स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981**

इन नियमों के प्रशासन से संबंधित संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं :-

दाब पात्र/फिटिंग के फैब्रिकेशन शॉप और उनके डिझाइन हेतु अनुमोदन, संपिडित गैस के भण्डारण के अधिष्ठापनों तथा सडकों द्वारा उन गैसों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्तियां, पात्रों के आयात हेतु अनुमति, पात्रों के निर्माण/ सुधार, अंतिम परीक्षण और आवधिक परीक्षण के समय निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिए अभिकर्ताओं/सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ।

संगठन द्वारा नए परिसरों को अनुज्ञप्तियां/अनुमोदन प्रदान करते समय सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण और सुरक्षा जांच की जाती है, तदुपरांत अनुज्ञप्ति प्राप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी किया जाता हैं । उपरोक्त कार्यो में सुरक्षा जांच, निरीक्षण रिपोर्टो का आवधिक परीक्षण तथा पात्रो फैब्रिकेटर्स और प्रमाणन एजंसियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण भी शामिल हैं ।

2.1.4: **एसिटिलीन जनरेटर संबंधी दिनांक 07.08.1983 की अधिसूचना सं.जीएसआर.625(ई)**

एसिटिलीन जब द्रव हो या दबाव में हो या वायु या आक्सीजन के साथ मिश्रण में हो, तो वह अति विस्फोटक होती है । एसिटिलीन का उत्पादन और जनेरेटर का अनुमोदन इस अधिसूचना के अंतर्गत शासित है । संगठन एसिटिलीन जनेरेटर का प्रकार तथा एसिटिलीन संयंत्र को अनुमोदन प्रदान करता है । कार्यरत एसिटिलीन सिलेण्डर फिलिंग संयंत्र के नियमित निरीक्षणों के अलावा, संगठन द्वारा विनिर्माता के स्थान पर तथा जनेरेटर स्थापित किए गए कारखानों में, उनके निष्पादन का मूल्याकंन करने के साथ ही अनुज्ञप्तियों के पृष्ठांकन के समय प्रत्येक जनेरेटर की योग्यता के निर्धारण हेतु जनरेटरों के ट्रायल रन लिए जाते हैं ।

2.1.5: **पेट्रोलियम नियम, 2002**

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम को हायड्रोकार्बन द्रव या हायड्रोकार्बन द्रव का मिश्रण और हायड्रोकार्बन द्रव मिले हुए किसी ज्वलनशील मिश्रण से परिभाषित किया गया है । इन नियमों के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित कार्यो के अनुमोदन समाविष्ट हैं-

रिफाईनरियों, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस निर्मिति संयंत्र, पेट्रोल का भूमिमार्ग व पाइपलाईनों द्वारा परिवहन, ऐसे स्थानों पर जहां ज्वलनशिल गैस तथा वाष्प भरी हों, वहां उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपयुक्त संरक्षित बिजली के उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरणों को फ्लेमप्रूफ करना, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिंग/सर्विस स्टेशन, पेट्रोलियम स्टोरेज अधिष्ठापन, सडकों द्वारा परिवहन करने हेतु टैंक-ट्रकों की अनुमति, एयरक्राफ्ट रिफ्युलर का अनुज्ञप्तिकरण और साथ ही डॉक एन्ट्री , मॅन एन्ट्री और हॉट वर्क हेतु पेट्रोलियम ले जा रहे पात्रों/जहाजों को गैस-फ्री सर्टिफिकेट प्रदान करना ।

2.1.6: **कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987**

कैलशियम कार्बाईड को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ घोषित किया गया है और उसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम लागू किया गया है । कैलशियम कार्बाईड नमी के साथ जुडकर एसिटिलीन गैस निर्मित करती है, जिसकी विस्फोटक सीमांए अति विस्तृत है । कैलशियम कार्बाईड को भरने के पात्रों को अनुमोदन देने तथा बिक्री या एसिटिलिन के निर्माण हेतु कैलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्तियां देने का कार्य इन नियमों के अंतर्गत संगठन को सौंपा गया है ।

2.1.7: <u>चलचित्र फिल्म नियम, 1948</u>

चलचित्र फिल्मों, जिनमें नाइट्रो-सेलुलोज आधार रहता है, उनका भण्डारण और परिवहन बडे पैमाने में अग्नि बाधा उत्पन्न करते हैं । इन नियमों के अंतर्गत ऐसी फिल्मों के भण्डारण और परिवहन का कार्य शासित है तथा भण्डारण के परिसरों का अनुज्ञप्तिकरण इस संगठन द्वारा किया जाता है । काफी समय से नाइट्रो-सेलुलोज आधारित फिल्मों से सुरक्षा फिल्मो (पॉलिएस्टर आधार) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैं । अतः यह नियम निरर्थक हो गए हैं तथा इन्हें हटाए जाने की सिफारिश की गई है ।

2.2 परामर्शकारी भूमिका

विस्फोटकों, पेट्रोलियम, कार्बाईड ऑफ कैलशियम, गैस सिलेण्डर्स, दाब पात्रों और अन्य खतरनाक वस्तुओं मे आग और विस्फोट रोकने हेतु विशेष तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं में विशेषज्ञता लिए, संगठन परामर्श प्रदान करता है । संगठन न केवल उद्योग के लिए वरन सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाएं जैसे बंदरगाह, रेलवे, रक्षा-संगठनों, भूतल परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, आदि के लिए भी परामर्श प्रदान करता हैं ।

संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानको के फॉरमुलेशन, बंदरगाहों के उप-नियम, इंडियन रेड टैरिफ और खतरनाक वस्तुओं के रेल-मार्ग, भूमि-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग संबंधित परीवहन के विनियमनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप के सदस्य हैं और अन्य अधिकारी भी राज्य तथा जिला स्तर पर सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप का प्रतिनिधित्व करते है ।

संगठन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

3.1 निम्नांकित के सम्बन्ध में साईट-ले-आउट व विनिर्माण नक्शों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन(अप्रैजल) :

- विस्फोटक विनिर्माण कारखाने
- विस्फोटक भंडारण परिसर
- आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने
- आतिशबाजी गोदाम तथा दूकाने
- बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन
- गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र
- सीएनजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- गैस से भरे सिलेण्डरों के लिये भंडारण शेड
- दाब पात्रों में संपिडित गैसेस हेतु प्रपुंज भण्डारण अधिष्ठापन
- आटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- पेट्रोलियम भंडारण शेड
- पेट्रोलियम टैंक लॉरिज
- पेट्रोलियम क्रास-कंट्री पाईपलाईन्स
- पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन
- कैलशियम कार्बाइड भंडारण परिसर

3.2: विस्फोटक वॅन, बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन, दाबपात्रों में बल्क संपीडीत गैस/क्रायोजनिक लिक्विड के परिवहन के लिए वाहन, सुरक्षा फिटिंग सहित पेट्रोलियम कंटेनर और टैंक लॉरी के डिजाईन व रचना, इन सभी प्रस्तावो के अनुमोदन हेतु संवीक्षा तथा उनका मूल्यांकन ।

3.3: उपरोक्त संदर्भित 3.1 तथा 3.2 के अंतर्गत परिसरों/ईकाइयों/वाहनों आदि के अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित कार्य ।

3.4: अनुमोदन जारी करने हेतु पेट्रोलियम परिष्करणों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, कैलशियम कारबाईड कारखानो तथा एसीटीलीन गैस जनरेटिंग संयंत्र के लेआउट, आदि की संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.5: लिक्विड हायड्रोकार्बन्स के साथ-साथ अन्य ज्वलनशील गैसेस/खतरनाक रसायनों हेतु डिजाईन, निर्माण, पाईपलाईन के लेईंग एवं ऑपरेशन आदि के प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.6: भारत मे निर्मित और आयातित दाब पात्रों तथा उनके फिटिंग्स के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.7: एलपीजी रेगुलेटरों सहित भारत मे निर्मित और आयातित गैस सिलेण्डरों तथा उनमें लगे वॉल्वों के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.8: भारत मे निर्मित और आयातित अज्वलनशील, आंतरिक रूप से सुरक्षित तथा ज्वलनशील गैसो/वाष्पों से भरे संकटपूर्ण स्थानों के लिए उपयोगी विशेष विद्युत उपकरणों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.9: दाबपात्र और उनकी फिटिंग निर्माण करनेवाले कारखानों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.10: सिलेण्डर परीक्षण केन्द्रो को मान्यता प्रदान करने के लिए सिलेण्डरों के आवधिक परीक्षण हेतु परीक्षण केन्द्रो के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.11: विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम व्यक्तियों एवं निरीक्षकों को मान्यता ।

3.12: शॉट फायरर परमिट और फोरमेन प्रमाणपत्र जारी करना ।

3.13: उपरोक्त उल्लिखित ईकाइयों की नियमित जाँच ।

3.14: खराब, दावा न किए हुए /अनुपयोगी/जब्तशुदा विस्फोटकों का नष्टीकरण ।

3.15: हॉट वर्क, पेट्रोनियम टैंको में मॅन एन्ट्री तथा डॉक में इन पात्रों के प्रवेश होने से पूर्व इनके लिए गैस-फ्री प्रमाण पत्र देने के लिए पात्रों का परीक्षण करना ।

3.16: विभाग द्वारा संचालित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आने वाले पदार्थो से जुडी दुर्घटनाओ के कारण एवं किए गए उल्लंघन को जानने हेतु दुर्घटनाओं की जाँच करना

3.17: विस्फोटकों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ।

3.18: पर्याप्त परीक्षण और जाँच के बाद नये विस्फोटकों को अधिकृत करना ।

3.19: आयात किए हुए और भारत में निर्मित सभी गैस सिलेण्डरों के भरण/उपयोग के लिए अनुमति देना ।

3.20: गैस सिलेण्डरों एवं दाबपात्रों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट जारी करना ।

3.21: विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवधिक विवरणी की संवीक्षा ।

3.22: नियमो में संशोधन एवं पुनरीक्षण तथा जन-सुरक्षा में, जहां भी जरूरी हो, छूट देना ।

3.23: बन्दरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे अधिकारीयों को निम्नलिखित अनुरोध पर सलाह देना:-

- संकटमय वस्तुओं का वर्गीकरण।
- खतरनाक वस्तुओं का भंडारण/परिवहन के लिए पैंकिग व शर्तो का निर्धारण।
- विस्फोटकों को लादने/उतारने और परिवहन की सुविधाओं के लिए स्थान, विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के ट्रांजिट भंडारण के लिए स्थान का चयन ।

3.24 :खतरें के वर्गीकरण के लिए विस्फोटक/संकटमय वस्तुओं की जांच/परीक्षण ।

3.25 :उपर वर्णित अधिनियमों और नियमों से सम्बन्धित खतरनाक पदार्थो, विस्फोटक, ज्वलनशील व अन्य खतरनाक वस्तुओं के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योग और अन्य संगठनों को सलाह देना ।

3.26 रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस.) और अन्य मंत्रालयों व विभागों द्वारा नियुक्त अनेक समीतियों में बतौर अध्यक्ष या सदस्य के रूप मे भाग लेना ।

3.27 : खतरनाक रासायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने, पेट्रोलियम-उत्पाद, विस्फोटक तथा संपीडीत गैसों से सम्बन्धित अनेक संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, परिचर्चा और कार्यशालाओं में भाग लेना ।

प्रशासन, बजट और अवसंरचना

वर्तमान में इस संगठन में **137** ग्रुप - **ए** अधिकारी और **343** ग्रुप बी, सी, और डी कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है । उपरोक्त पदों में से ग्रुप ए के **41** पद और ग्रुप बी, सी तथा डी के **25** पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से रिक्त है । **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन का **मुख्यालय नागपqर** में है । मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में पेसो के **5** अंचल कार्यालय स्थित है जिनका नेतृत्व **संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** करते हैं । **उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में संगठन के **13** उप-अचंल कार्यालय तथा **विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में **5** उप-अचंल कार्यालय है । **उप विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में विभागीय परीक्षण केंद्र (डी.टी.एस.), गोंडखैरी में स्थित हैं तथा विस्फोटक नियंत्रक के नेतृत्व में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी. सी.) सिवाकासी में स्थित हैं ।(विवरण हेतु अनुलग्नक - 1 देखें)

बजट एवं व्यय

वर्ष के दौरान संगठन को नॉन प्लान बजट में रूपये **23,75,00,000/-** तथा प्लान बजट में रूपये **2,97,00,000/-** की स्वीकृती प्रदान की गई थी । वर्ष के दौरान नॉन प्लान बजट में रूपये **23,57,54,697/-** एवं प्लान बजट के तहत रूपये **2,69,14,781/-** का व्यय किया गया।

राजस्व

वर्ष के दौरान संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओ की फीस के रूप में रूपये **54,33,27,257/-** अर्जित किये गये जिसमे विस्फोटक अधिनियम से रूपये **32,96,81,019/-** एवं पेट्रोलियम अधिनियम से रूपये **21,36,46,238/-** प्राप्त हुए ।

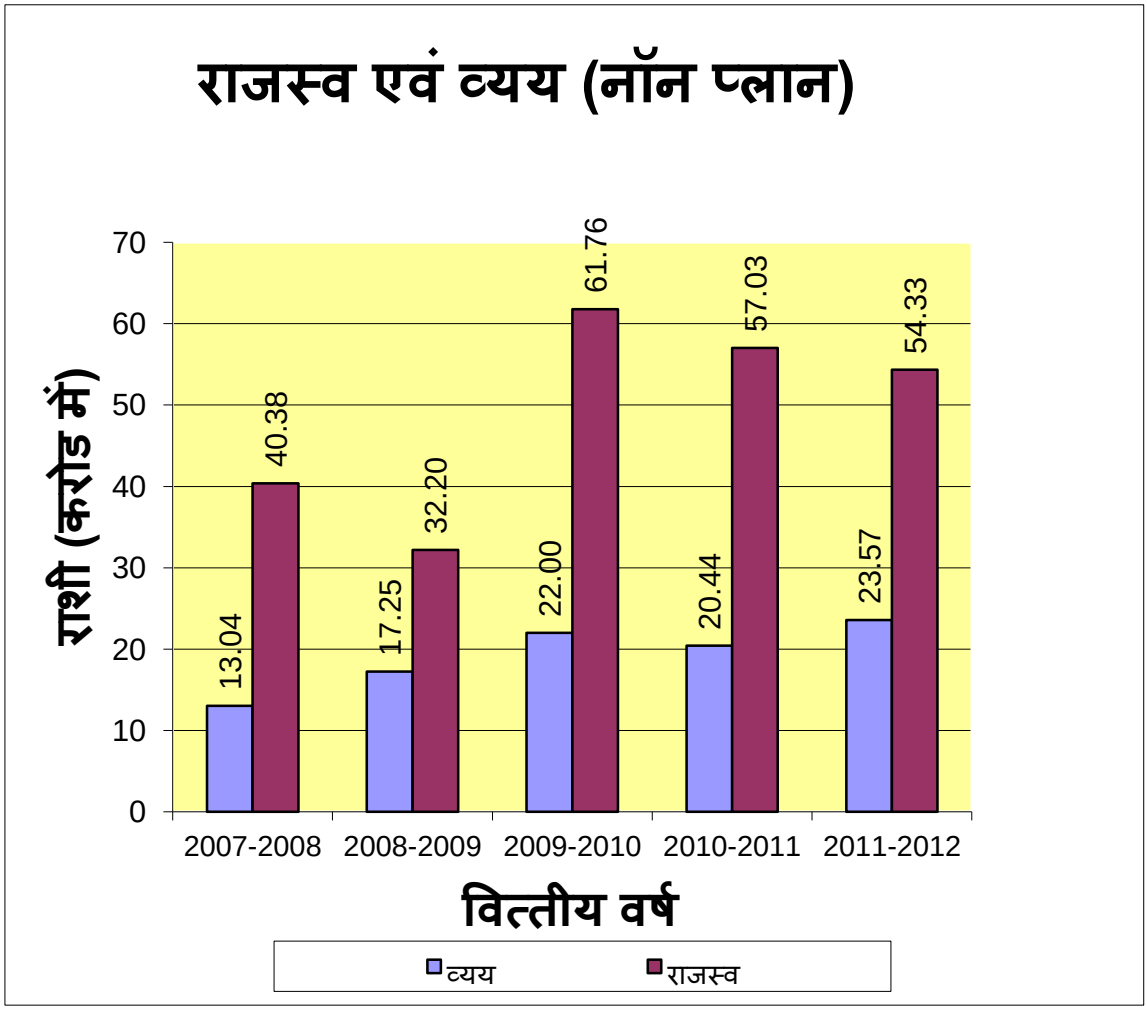
राजस्व एवं व्यय (नॉन प्लान)
राशी (करोड में)
70
60
50
40
30
20
10
0
13.04
40.38
17.25
32.20
22.00
61.76
20.44
57.03
23.57
54.33
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
वित्तीय वर्ष
व्यय
राजस्व

विभागीय परीक्षण केन्द्र और
आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

परिचय

विभागीय परीक्षण केन्द्र नागपqर से 18 कि.मी. की दूरी पर नागपqर-अमरावती रोड राजमार्ग सं 6, ग्राम गौंडखैरी जिला नागपqर में स्थित है । 81 एकड भूमि में व्याप्त परीक्षण केन्द्र, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपqर के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्यरत है ।

इस विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संविधिक परीक्षण कार्य के लिए किया गया है ।

यह परीक्षण केन्द्र गुणता नियंत्रण सम्बन्धी परीक्षण तथा उद्योग के उपभोक्ताओ को विभिन्न सामग्री एवं उपकरणों के परीक्षण का कार्य करता है, विशेष रूप से विस्फोटक विनिर्माण हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करता है ।

भारत वर्ष में सर्व प्रथम खतरनाक पदार्थ निर्यात संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुमोदन के अनुसार यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा, संगठन के विभागीय परीक्षण केन्द्र गौंडखैरी नागपुर में विकसित की है ।

कार्य :

1) संविधिक परीक्षण

संख्या	नियम	परीक्षण का उद्देश्य
1	विस्फोटक नियम 2008	1. विस्फोटक पदार्थो के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में । 2. प्राधिकृत विस्फोटक की सूची में रखने अथवा हटाए जाने का निर्णय लेने हेतु अनुवर्ती वार्षिक परीक्षण । 3. विस्फोटको के पैकेजेस का अनुमोदन ।
2	पेट्रोलियम नियम, 2002	1. टैंक लॉरी सेफ्टी फिटिंग्स के डिजाईन का अनुमोदन । 2. विनिर्माण अनुमोदन के पुनर्विधिमान्यकरण के लिए अनुवर्ती परीक्षण । 3. पेट्रोलियम के मेटल कंटेनर का अनुमोदन ।
3	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों के अनुसार उपलब्ध एलपीजी एवं संपीडित गैस सिलेण्डर के लिए सांविधिक परीक्षण की सुविधा ।
4	स्थिर तथा गतिशील	परीक्षण कार्य विकासाधीन ।

	दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	

2)*: गुणता नियंत्रण परीक्षण*

परीक्षण केन्द्र, संगठन द्वारा प्रशासित अधिनियमो/नियमो के अंतर्गत किए गए उत्पादन के कार्य क्षेत्र मे गुणता परीक्षण सेवाएं भी देता है।

3): यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण ¼विस्फोटको के निर्यात के लिए नई सीमा½

खतरनाक माल के परिवहन के लिए यू.एन.विनियमन के अनुसार विस्फोटक उत्पादन, विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईन के साथ, विस्फोटक उद्योगो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन का निर्यात प्रतियोगी कीमत पर करने के लिए, विभागीय परीक्षण केन्द्र द्वारा यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा देने की शुरूवात की है ।

परीक्षण परीणाम मुल्यांकन के निर्धारण के पश्चात विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईनवाले उत्पादन का ग्रूप बीआईएस के अनुरूप 1.4 मे वर्गीकृत किए जाते हैं । महानिदशेक जहाजरानी, विभागीय परीक्षण केंद्र के निर्धारण एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । निर्यातक अपने 1.4 वर्गीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादन जनरल कार्गो शिप के द्वारा शिप कर सकते है, बजाए विस्फोटक कार्गो शिप से जिससे माल-भाडे मे काफी बचत होगी । सभी निर्यातक इन जहाजों की आसान सुविधा का लाभ उठाते है जिससे वह अपना माल समय से पहुँचा सकते है क्योंकि विस्फोटक कार्गो शिप की सिमित उपलब्धता के कारण माल पहुचाने मे विलंम्ब होता है।

4) <u>नमूनो का परीक्षण</u>

विभागीय परीक्षण केन्द्र में वर्ष के दौरान निम्नांकित नमूनों की जांच की गईः-

संख्या	विवरण	मात्रा
1.	**विस्फोटक**	
	स्लरी/इमलशन वर्ग 2	165
	पेन्टोलाईट बूस्टर वर्ग-3 प्रभाग 2	24
	आतिशबाजी	230
	सेफ्टी फ्युज	12
	गन पाऊडर	05
	डिटोनेटर	285
	डिटोनेटिंग फ्यूज	24
2.	**विस्फोटक के सीएफबी पैकेजेस**	
	प्रस्तावित नए अनुमोदन के नमूने	05
	अंचल/उप-अंचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त नमूने	215
3.	**पेट्रोलियम टैंक लॉरी सेफ्टी फिटिंग्स**	--

	नए अनुमोदन हेतु	--
	पुन: वैधता हेतु	--
	कुल	**965**

5) विस्फोटकों का निस्तारण -

परीक्षण केन्द्र में शेष नमूनों का निस्तारण -

वर्ग 1	--
वर्ग 2	1975.8 किलोग्राम
वर्ग 3 प्रभाग 2	221 किलोग्राम
वर्ग 6 प्रभाग 1	--
वर्ग 6 प्रभाग 2	913 मीटर
वर्ग 6 प्रभाग 3	9290 संख्या
वर्ग 7 प्रभाग 2	--

राजस्व

वर्ष के दौरान विभागीय परीक्षण केन्द्र ने रूपये **61,52,361/-** राजस्व अर्जित किया ।

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.) सिवाकासी

मा. सूप्रीम कोर्ट के दि. 18.7.2005 केस डब्ल्यू.पी. ¼सिविल नं 72 - 1998½ के निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार, पेसो द्वारा सिवाकासी मे प्लान स्कीम के तहत एफ.आर.डी.सी. के निर्माण का कार्य शुरू किया गया ।

दसवे प्लान के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के सिविल स्ट्रकचर का कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया हैं । निष्पादित काम में 2.025 हेक्टर भूमि की खरीद, उसके चारो ओर दीवार, बोरवेल, पानी की पाइपलाइन, लाईट पोस्ट, आंतरिक सड़के, मुख्य इमारत आवासीय प्रयोगशालाएं और संबद्ध सुविधाएं, आदि शामिल है । ग्यारहवी योजना के तहत **एफ.आर.डी.सी. को पूर्ण रूप से ऑपरेशनल करने हेतु** उसे तकनीकी और गैर-तकनीकी मैनपावर से समर्थ करना प्रस्तावित हैं ।

माननीय सूप्रीम कोर्ट के निर्देशो के अनुसरण मे, पेसो द्वारा किए गए विभिन्न समानांतर उपायो के परिणाम निम्नानुसार है :

पेसो द्वारा आतिशबाजियों को ध्वनीवाले पटाखों और कलर/लाईट वाले पटाखो में वर्गीकृत किया गया है तथा अपेक्स कोर्ट के निर्देशो का अनुपालन करते हुए आतिशबाजियों की प्राधिकृत सूची संशोधित की गई हैं । जी.एस.आर. सं. 225 दि. 6.9.2006 के भारत का राजपत्र, भाग - II, धारा-3, उप-धारा (i) मे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्यगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है । एमईपीसीओ, स्क्लेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी के तकनीकी सहायता से, पेसो द्वारा ध्वनीवाले पटाखो के मिश्रण का विकास किया गया जो पर्यावरण के मानको द्वारा निर्धारित सीमा मे हैं । भारत सरकार की दि. 5.10.99 की अधिसूचना सं. जीएसआर 682(ई) मे दिए गए जरूरतो को पूर्ण करने हेतु चार सामान्यत: प्रयुक्त ध्वनी पटाखे- 1. ऍटम बॉम्ब, २. चायनीज पटाखे, 3. मरून्स 4. गारलँड पटाखो के रसायनिक आकार /प्रकार के विशेष संदर्भ मे, उनके विनिर्माण मे उसके अनुपात/संरचना, साथ ही उसमे प्रयुक्त हर एक रसायन के अधिकतम अनुमती प्राप्त वजन आदि समीकरण (फॉर्मुला) विर्निदिष्ट करता है ।

यह समीकरण सख्त अनुपालन हेतु भारत के सभी आतिशबाजी विनिर्माणकर्ताओं को दिया गया है । आम जनता के साथ ही इससे संबंधित सभी के जानकारी हेतु इसे पेसो की वेबसाईट **http://peso.gov.in** पर भी उपलब्ध किया गया है ।

अध्याय- 6

ई – गवर्नेन्स

ग्यारहवीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत ई - **गवर्नेन्स** को जारी रखते हुए पेसो द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किए गए –

पेसो के सभी कार्यालयों एक्सप्लोनेट नेटवर्क के अंतर्गत समाहित किया गया है । फॉल-बॅक अरेन्जमेन्ट के साथ पाँच अंचल कार्यालयों के लिए 2 एमबीपीएस स्पीड की लिज्ड लाइन अपग्रेड की गई । उसी प्रकार से 18 उप - अंचल कार्यालयों के लिए लीज्ड लाइन की स्पीड 512 केबीपीएस तक बढाई गई हैं ।

विभागीय परीक्षण केन्द्र, गोंडखैरी तथा एफआरडीसी, सिवाकासी को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई हैं ।

सभी विस्फोटक विनिर्माता अपने दैनिक उत्पादन का विवरण दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । सभी विनिर्माताओं द्वारा आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में 100% सफलता हासिल की गई है ।

एलई-3 (विस्फोटकों का बिक्री के लिए कब्जा और उपयोग हेतु) के अंतर्गत अनुज्ञप्तीधारकों में से 95% से अधिक ने ऑनलाईन आरई-7 (विस्फोटकों की विवरणी) हेतु रजिस्ट्रेशन किया हैं और वे उनकी तिमाही विवरणी, आरई-7 ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से प्रस्तुत कर रहें हैं ।

जिन अनज्ञप्तीधारकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नही किया या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत नही कर रहें हैं उन्हे ऑनलाइन कारण बताओं (शो कॉज) नोटिस जारी की जा रही हैं ।

विस्फोटकों के ट्रैन्ज़ैक्शन की निगरानी को और भी सशक्त करने के लिए पेसो द्वारा सभी विनिर्माताओं और वितरकों के लिए आरई -12 (विस्फोटकों के बिक्री और परिवहन हेतु) के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा शुरू की गई हैं । सभी विनिर्माता और अधिकांश वितरक आरई-12 ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे उन्हें उनके बिक्री प्रविष्टियों से संबंधीत आरई-7 (त्रैमासिक विवरणी) बनाना सुगम हो गया हैं ।

आंतरिक कार्यालयों को बेहतर सुविधा देने के लिए और आरई-7 के माध्यम से बल्क में प्राप्त किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए इंटर्नल स्टोरेज 2 टेरा बाइट तक बढ़ाया गया है । मौजूदा सॉफ्टवेयर के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए SAN स्टोरेज के साथ नये RACK सर्वर उपयोग में लाए गए हैं ।

फॉर्म आरई-12 और फॉर्म आरई-7 के ऑनलाइन जमा करने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट भविष्य में मौजूदा 4 एमबीपीएस के इंटरनेट गेटवे को अपग्रेड करके उसकी डेडीकेटेड प्रवाहक्षमता 10 एमबीपीएस करने की योजना बनाई गई है ।

पाँच अंचल कार्यालयों और मुख्यालय, नागपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हैं ।

इसके अलावा ग्यारहवी पंचवार्षिक योजना के तहत विकसित नए एप्लिकेशन मॉड्यूल्स का कठोर परीक्षण किया जा रहा है । इन एप्लिकेशन मॉड्यूल्स से अनज्ञप्तीधारकों को पेसो द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के तहत आवेदनों के ऑनलाइन जमा करने में सुविधा होगी ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं

संगोष्ठियां -

- गुजरात सुरक्षा परिषद द्वारा डिजाईन ऑपरेशन में सुरक्षा पर विचार तथा दाबपात्रों का रखरखाव विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया ।
- *ड्रिलिंग एण्ड ब्लास्टिंग फॉर सर्फेस एण्ड अंडरग्राउंड एस्कॅवेशन* पर केंद्रीय सिंचाई बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में भाग लिया ।
- जहाजरानी मंत्रालय तथा गेटवे द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय समुद्री संगोष्ठी में *'सेफ्टी रिक्वायर्मेन्ट्स इन हैंडलिंग एण्ड स्टोरेज ऑफ पीओएल इन जेट्टीज एण्ड पोर्ट इन्स्टालेशन्स'* पर व्याख्यान दिया ।
- दिल्ली में आयोजित विश्व एलपीजी उप महाद्वीपीय क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया ।
- आईओसीएल द्वारा चेन्नई में आयोजित हवाई अड्डे भराई स्टेशनों के विश्व सम्मेलन में भाग लिया ।
- गेल द्वारा आयोजित सातवे एशिया गैस पार्टनरशिप समिट 2012 में भाग लिया ।

बैठके -

1. एमओपीएनजी में ओआईएसडी 116 और 117 के संशोधनों के बारे में हुई बैठक में भाग लिया ।
2. सीएनजी वितरण स्टेशनों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए स्थापित समिति की मुंबई में हुई बैठक की अध्यक्षता की ।
3. गैस सिलेंडर नियम पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया ।
4. एलपीजी इक्वीपमेंट रिसर्च सेंटर, बंगलौर की बोर्ड बैठक और रिसर्च सेंटर की सुविधा के मूल्यांकन की बैठक में भाग लिया ।
5. पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली में 29 वी सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लिया ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम-विदेश यात्राएं

व्याख्यान:

1. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में दि. 29.04.2011 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेट्रोलियम नियम, 2002 पर व्याख्यान दिया ।
2. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में दि.29.04.2011 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गैस सिलेंडर नियम, 2004 पर व्याख्यान दिया ।

<u>बैठके</u> -

1. डीआईपीपी, नई दिल्ली में दि. 20.04.2011 को विस्फोटक निगरानी और ट्रैकिंग पर एक परामर्शी मूल्यांकन समिति की बैठक में भाग लिया ।
2. रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्युमेंट(RFD) पर उद्योग भवन, नई दिल्ली में दि. 28.04.2011 को हुई बैठक में भाग लिया ।
3. IPV6 पर जागरूकता कार्यक्रम में दि.15.09.2011 को डीआईपीपी, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।
4. डीआईपीपी, नई दिल्ली में *एनआईएसजी प्रोजक्ट ऑन ट्रैकिंग एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्स्प्लोजिव्स* की दि. 29.09.2011 को आयोजित बैठक में भाग लिया ।
5. डीआईपीपी, नई दिल्ली में *एनआईएसजी प्रोजक्ट ऑन ट्रैकिंग एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्स्प्लोजिव्स के* प्रगति की दि.17.10.2011 को आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया ।
6. डीआईपीपी, नई दिल्ली में *एनआईएसजी प्रोजक्ट ऑन ट्रैकिंग एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्स्प्लोजिव्स* पर दि. 23.11.2011 को आयोजित कार्यशाला तथा समीक्षा बैठक में भाग लिया ।
7. डीआईपीपी, नई दिल्ली में *एनआईएसजी प्रोजक्ट ऑन ट्रैकिंग एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्स्प्लोजिव्स* से संबंधित दि. 31.01.2012, 16.02.2012 17.02.2012 को आयोजित बैठको में भाग लिया ।

<u>संगठन के अन्य अधिकारियों की बैठकें -प्रशिक्षण कार्यक्रम- संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-</u>

<u>दक्षिण अंचल</u>

1. दि. 2/08/2011 को श्री बी.रेंगासामी, उप मुविनि द्वारा तमिलनाडु पुलिस अकादमी, वंडॅलुर में विस्फोटक नियम पर व्याख्यान दिया । उनके साथ डा एस. के. दिक्षित सहभागी हुए थे ।

2. श्री आर. वेणुगोपाल, वि.नि. और डा एस के दिक्षित द्वारा दि. 24.08.2011 को तमिलनाडु पुलिस ड्यूटी मिलन समारोह में भाग लिया गया । इस समारोह में उन्होने एंटीसैबोटेज चेक प्रतियोगिता के लिए परीक्षको की भूमिका निभाई । इस योगदान के लिए श्री आर.सेकर, आईपीएस, अतिरिक्त डीजीपी, सीबी, सीआईडी द्वारा उनकी सराहना की गई ।

3 श्री एस सरगुणारमण, सं.मु.वि.नि.दक्षिण अंचल चेन्नई द्वारा दि. 27/08/2011 को बंगलौर के आतिशबाजी की दुकान के लाइसेंस धारकों को प्राप्ति, भंडारण, और आतिशबाजी की बिक्री में संपूर्ण सुरक्षा पहलुओं के बारे में संबोधित किया ।

4. श्री आर. वेणुगोपाल, वि.नि. द्वारा *कॅथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड एलपीजी टैंक्स इन एएलडीएस* पर प्रस्तुत शोध-पत्र को दि. 28/09/2011 को विश्व एलपीजी सम्मेलन, दोहा, कतार में प्रस्तुत किया गया ।

5. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिण अंचल चेन्नई द्वारा दि.30.11.2011 को सुरक्षा हेतु आतिशबाजी विनिर्माताओं में सुरक्षा के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। पहले दिन सिवाकासी के नामस्क्रीथमपट्टी के तथा इसके आसपास के लगभग 20 कारखानों से श्रमिकों ने इसमे भाग लिया ।

6. श्री एस सरगुणारमण, सं.मु.वि.नि.दक्षिण अंचल चेन्नई द्वारा विमानन में पेसो की भूमिका पर दि. 29/02/2012 को मुत्तुकाडू में ग्यारहवे अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में व्याख्यान दिया ।

7. श्री टी. ओ. ससी, उप-मु वि नि , द्वारा कलेक्टर, विरूधुनगर जिला कलेक्ट्रेट में दि. 07/07/2011 को आयोजित बैठक में भाग लिया । बैठक में राजस्व अधिकारियों के साथ स्क्वॅड के गठन से संबंधित मामले, पुलिस, फैक्टरी निरीक्षणालय और फायर सर्विस आतिशबाजी कारखाने के निरीक्षण का निर्वाह करने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा की गई ।

8. श्री टी. ओ. ससी, उप-मु वि नि द्वारा दि. 03/08/2011 को आतिशबाजी विनिर्माण कारखानों में दुर्घटना की रोकथाम के संबंध में कलेक्ट्रेट विरुधुनगर में माननीय श्रम मंत्री, तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया ।

9. संयुक्त सचिव(विस्फोटक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विरुधुनगर जिला कलेक्टर की उपस्थिति में विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य द्वारा दि. 14/07/2011 को एफआरडीसी के उद्घाटन की घोषणा की गई । श्री टी. आर. तोमस, मु वि नि महोदय ने इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की । सं.मु.वि.नि.दक्षिण अंचल चेन्नई ने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया ।

<u>पश्चिम अंचल</u>

<u>सहभाग- बैठकें -प्रशिक्षण कार्यक्रम- संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-</u>

1. श्री एस.सी. मैती, सं.मु.वि.नि. और श्री आर.के. मैंडोला, उप-मु.वि.नि. मुंबई द्वारा दि. 12,13/05/2011 को मुंबई में कार्य बल (टास्क फोर्स) की संयुक्त बैठक में भाग लिया । यह बैठक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा सीएनजी सिलेंडर भरने, परिवहन, भंडारण और संबंधित पाइपलाइन संचालन और परीक्षण के तौर-तरीकों को तय करने के लिए बुलाई गई थी ।
2. श्री आर.के. मैंडोला, उप-मु.वि.नि., मुंबई द्वारा दि. 15/05/2011 को डोम्बीवली में आयोजित कल्याण अम्बरनाथ मैनुफॅक्चरर्स एसोसिएशन, के केमिकल इंडस्ट्रीज के सदस्यो के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया ।
3. श्री एस.सी. मैती, सं.मु.वि.नि. द्वारा दि. 16.06.2011 को कार्यालय के अधिकारियों के लाभ के लिए 'इमर्जिंग ग्लोबल स्टँडर्ड्स एण्ड प्रॅक्टिसेस इन क्वाटिटेटिव रिस्क असेसमेंट '(QRA)" पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया । इसमे डॉ. निकोलस कॅवॅना, DET NORSKE VERITAS (DNV), एएस, यू.के. द्वारा प्रस्तुति दी गई ।

4. श्री वी.के.मिश्रा, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा दि. 29/07/2011 को अपर सचिव " गृह" के साथ डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वांछित "लेटर ऑफ असिसटंस" प्राप्त करने हेतु रक्षा मूल के जब्त /आयातित विस्फोटकों के निपटान के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया।

5. श्री एस.सी मैती, सं.मु.वि.नि. ने दि. 18/08/2011 को ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अगुवाई की । बैठक विभिन्न अनुज्ञप्त परिसर में सुरक्षा मानको के उन्नयन के बारे में थी । ओएनजीसी की तकनीकी टीम के साथ विशेष रूप से सिलेंडरों में भरने के लिए और मोटर वाहन प्रयोजन में उपयोग के लिए एमजीएल भेजे गए सीएनजी में नमी और हाइड्रोजन कंटेंट के बारे मे विस्तृत चर्चा हुई ।

उत्तरीअंचल

संगोष्ठी

1. दि. 12/01/2012 को पेसो फरीदाबाद द्वारा " सीएनजी सेफ्टी एण्ड चैलेंजेस इन सीजीडी "पर फरीदाबाद के आरआयएल सभागार में श्री आर. सी. कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला सफलता से आयोजित की गई । सीजीडी के सेक्टर से दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया । सभागार से संलग्न ही एक मिनी प्रदर्शनी आयोजित की कई थी जिसमें आठ विक्रेता थे और आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपकरणों को सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया था ।
2. दि. 17/12/2011 को शिमला वर्कशॉप में उप-मु.वि.नि., चंडीगढ द्वारा *विस्फोटक नियम* तथा *ऑनलाइन रिटर्न भरने* के बारे में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला श्री आर. सी. कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद की अध्यक्षता में हुई ।
3. दि. 26/09/2011 को होटल ताज, नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोसायटी फॉर ऑटोमेशन द्वारा "इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड ऑटोमेशन-एनरिचिंग एनर्जी, एनश्युरिंग सेफ्टी" विषय पर आयोजित एक सेमिनार में श्री आर. सी. कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने तकनीकी सेशन की अध्यक्षता की ।
4. दि. 05/12/2011 को पेसो, फरीदाबाद द्वारा पेट्रोलियम नियम 2002 और एसएमपीवी (यू) नियम 1981 के तहत उत्तरी अंचल के सक्षम व्यक्तियों के लिए फरीदाबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के दौरान, सक्षम व्यक्तियों के चयन और उनके लिए जारी की गई मंजूरी के पुनर्वैधीकरण के संबंध में मु.वि.नि. द्वारा किए जाने के प्रस्तावित नीति में बदलावों के बारे में अवगत कराया गया । मु.वि.नि., नागपुर द्वारा यथा परिकल्पित ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के लाभ हेतु एक डेमान्स्ट्रेशन का भी आयोजन किया गया था ।

व्याख्यान

1. श्री पी. कुमार, उप-मु.वि.नि., चण्डीगढ द्वारा दि. 24/04/2011 को "पेट्रोलियम अधिनियम / विस्फोटक अधिनियम के तहत विभिन्न नियमों और विनियमों" पर मे. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंपोर (पुलवामा) (जम्मू और कश्मीर) के अधिकारियों को व्याख्यान दिया ।

दि. 24/04/2011 को मे.खैबर पेट्रोलियम और खनिज, लाडू लाटपोरा (जिला पुलवामा), कश्मीर के अधिकारियों तथा दि. 20/04/2011 को मे.हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बारी ब्राह्मण, जम्मू के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान संबोधित किया ।

2. श्री अजय सिंह, वि.नि., चंडीगढ़ द्वारा दि. 17/12/2011 को विस्फोटक नियम, 2008 तथा इसके तहत अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विस्फोटकों का रिटर्न भरने, साई भवन, सेक्टर 4, न्यू शिमला-171009 (हिमाचल प्रदेश) में सेमिनार के दौरान पर एक व्याख्यान दिया ।

कार्यशालाएं

1. डॉ ए. कुमार, उप-मु.वि.नि., जयपुर और डॉ. योगेश खरे, वि.नि., जयपुर द्वारा दि. 12/01/2012 को फरीदाबाद के आरएलआय सभागार में सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद तथा महानिदेशक, फैक्ट्री सलाह सेवाएं तथा श्रम संस्थान द्वारा आयोजित सीजीडीएस पर सीएनजी सुरक्षा और चुनौतियों पर एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया ।
2. उप-मु.वि.नि., जयपुर कार्यालय द्वारा दि.28/01/2012 को एनआईसी, एनआयटीपीयू, नागपुर के तकनीकी निदेशक श्री एस. ढोके द्वारा संचालित आरई-7 तथा आरई-12 के सिलसिले में विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारको के लिए विस्फोटक नियम 2008 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ।
3. डॉ. ए.कुमार, उप-मु.वि.नि., जयपुर ने दि. 22/09/2011 को बीपीसीएल, जयपुर के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में एक फायर ड्रिल में तेल कंपनियों, जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भाग लिया ।

मध्यांचल

<u>बैठक/सेमिनार/व्याख्यान</u>

1. सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में दि. 26/08/2011 को "सीएनजी सुरक्षा 'विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी । आईजीएल, सीयुजीएल, सांवरिया गैस और टीस्टा कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया ।
2. मध्यांचल, आगरा के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशों के और आंचलिक कार्यालय, नोएडा बीपीसीएल के अधिकारियों का एक इंटरैक्टिव सत्र दि. 10/09/2012 को आगरा में आयोजित किया गया था ।
3. श्री कैलाश कुमार, सं.मु.वि.नि., आगरा द्वारा लखनऊ में दि. 15/09/2011 को आईओसीएल और एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ दो इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया । उनके साथ श्री आर पिपलानी, वि.नि. भी उपस्थित थे ।

पूर्वांचल

<u>बैठक/सेमिनार/व्याख्यान</u>

1. सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय में दि. 26/08/2011 को "सीएनजी सुरक्षा 'विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी । आईजीएल, सीयुजीएल, सांवरिया गैस और टीस्टा कंसट्रक्शन के अधिकारियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया ।
2. ओएनजीसी के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा और सावधानी के प्रणाली पर प्रस्तुति भूकंपी अन्वेषण दर मे विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए ने बताया कि में पीछा किया. Jt.CCE, चुनाव आयोग, कोलकाता और ओएनजीसी के अधिकारियों के अधिकारियों, कोलकाता प्रस्तुति में भाग लिया.

सेवाओं मे अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों/ सेवानिवृत तथा शारिरिक रूप से विकलांग-व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1. अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों का प्रतिनिधित्व :

संगठन में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद के एक संपर्क अधिकारी के अधीन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल कार्य करता है । संगठन के अंचल कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सेल कार्यरत है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल न केवल पदों के अनारक्षण (डिरिजर्वेशन) संबंधित प्रस्तावों पर देख-रेख करता है, वरन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणियों के कर्मचारियों के सेवा-मामलों के संबंध में उठने वाली शिकायतों पर भी गौर करता है, तथा उनकी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने में उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही भी करता है ।

संगठन, समय-समय पर अपने नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक अनुभागो तथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सेवाओ में आरक्षण हेतु निर्देशों के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश देता है ।

संगठन में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप **ßएÞ, ßबीÞ, ßसीÞ ßडीÞ** पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो की संख्या का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	**पदो की श्रेणी**	**अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या**	**अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या**	**अन्य पिछडों जातियों के व्यक्तियों की संख्या**
1	ग्रुप ßएÞ	15	04	19
2	ग्रुप ßबीÞ	11	02	04
3	ग्रुप ßसीÞ	54	26	57
4	ग्रुप ßडीÞ	23	07	09

सेवा में शारिरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व :-

शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण आदेशों पर प्रभावशाली ढंग से अमल करने को आश्वासित करने हेतु संगठन प्रयासरत है । संगठन ने शारिरिक रूप से विकलांगों द्वारा भरे जाने हेतु **ßएÞ, ßबीÞ, ßसीÞ ßडीÞ** के कुछ पदों को निर्धारित किया है ।

संगठन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप **ßएÞ, ßबीÞ, ßसीÞ ßडीÞ** पदों में शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदो की श्रेणी	शारिरिक रूप से विकलांगों की संख्या
1	ग्रुप ßएÞ	1
2	ग्रुप ßबीÞ	0
3	ग्रुप ßसीÞ	4
4	ग्रुप ßडीÞ	3

सतर्कता की गतिविधियॉ

संगठन प्रमुख एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक संगठन की सतर्कता गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं । मुख्यालय नागपुर के अलावा सतर्कता सेल, संगठन के देशभर के सभी अंचल एवं उपअंचल कार्यालयों में, परिक्षण केन्द्र तथा एफआरडीसी में कार्यरत है । प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख, सतर्कता सेल का नेतृत्व करते है तथा उनकी रिपोर्ट मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित की जाती है।

निवारक सतर्कता का प्राथमिक उद्देश्य कदाचार और लालच से प्रवण या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना हैं । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पालन किया जाता हैं ।

सीवीसी के मार्गदर्शक सिध्दांतो के अनुसरण से संगठन के सभी कार्यालयों में 07 से 11 नवबर, 2011 तक सतर्कता जागृकता सप्ताह मनाया गया । संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली तथा सभी मामलो मे समय से निपटान, निष्पक्षता, पारदर्शिता संपादन करने हेतु प्रणाली में उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी निवारक उपायों के जागृकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

संगठन के अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए -

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उस पर सतर्कता रखी जाती हैं ।
- काम के निपटान में देरी तथा कदाचार की संभावनाओं को कम करने हेतु आम जनता के साथ नियमित कार्यालयीन व्यवहारों को अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है ।
- कार्यालय प्रमुख नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- अंचल के प्रमुख नियमित रूप से उप-अंचल के प्रमुखों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंचल प्रमुख तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- नामित अधिकारी तथा कार्यालय/संगठन प्रमुख द्वारा संवेदनशिल क्षेत्रों/ अधिकारियों की गतिविधियों की समिक्षा करने हेतु नियमित और आकस्मिक रूप से निरिक्षण किए जाते हैं ।
- संबंधित अधिकारियों से कार्यालयीन मामलों के संदर्भ में मिलने हेतु आने वाले आगंतुकों को भी सतर्कता की गतिविधियों के अंतर्गत लिया गया है । इसके लिए अलग से स्वागत कक्ष बनाया गया है । उन्हें आगंतुक पास जारी किया जाता है तथा उसपर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर लिये जाते है । इसके अलावा स्वागत क्षेत्र, आगंतुक क्षेत्र, लॉबी आदि की सीसीटीवी प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती हैं ।
- स्वागत कक्ष में संबंधीत अधिकारियों की सूची, उनके गतिविधियों के प्राधिकृत कार्यक्षेत्रों के साथ प्रदर्शित की गई है ।

- जिन कर्मचारियों के कदाचार से लिप्त होने का संदेह हैं, उनकी सूची बनाई गई हैं तथा उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता हैं ।
- कदाचार के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसकी जॉच संगठन प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है ।
- संगठन की वेबसाईट http://peso.gov.in के सब-मेनू 'शिकायत निवारण' के अंतर्गत, संगठन प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखों के नाम उनके दूरभाष संख्या के साथ दर्शाए गए हैं तथा संगठन की वेब साईट पर नागरिक अधिकारपत्र में स्टेकहोल्डर्स की सुविधा हेतु शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया है ।
- अधिकारियों और सहायकों को आचरण नियम के प्रावधानों से तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों से भी अवगत किया जाता है ।

.....

राजभाषा का प्रयोग

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर अपने पाँच अंचल कार्यालय तथा अठारह उप-अचंल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केंद्र तथा आतिशबाजी अनुसंधान तथा विकास केंद्र के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता हैं । संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी. आर. तोमस के नेतृत्व में यह कायार्लय पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तथा राजभाषा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प हैं ।

वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्येश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया गया । मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया ।

मंत्रालय, आदि से प्राप्त विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश, पत्रादि सभी अंचल कार्य/उप-अंचल कार्यालयों को प्रेषित कर, कार्य का मानिटरिंग किया जाता हैं । जन संपर्क कार्यालय होने के कारण आगंतुको हेतु आगंतुक पास, अधिकारियों के विजिटिंग कार्ड्स द्विभाषी बनवाए गए हैं । राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना फलक पर प्रतिदिन एक शब्द/सुविचार द्विभाषी दर्शाया जाता हैं ।

कंप्युटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग - यूनिकोड कार्यालय के सभी कम्प्युटर पर लोड कर दिए गए हैं । संगठन की वेबसाईट का द्विभाषीकरण पूर्ण कर लिया गया हैं । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संगठन के ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मॉड्युल का द्विभाषीकरण जारी हैं । मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निदेशों, पत्रों, आदि को ई-मेल, सपोर्ट साईट द्वारा संगठन के सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को यथाशीर्घ अनुपालना हेतु प्रेषित किए जाते हैं ।

संगठन का राजभाषायी निरिक्षण

दिनांक 25 जनवरी 2011 को उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। माननीय समिति ने आगरा कार्यालय की राजभाषा गतिविधियों की सराहना की ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में सहभाग

दिनांक 07 फरवरी 2011 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी आर तोमस द्वारा सहभाग किया गया । बैठक में लिए गए निर्णयों का तथा राजभाषा विभाग से समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशो का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा हैं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें में सहभाग

राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु नराकास द्वारा बुलाई गई बैठकों मे संगठन के कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सहभाग लिया गया। नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमो जैसे अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाए, आदि मे भी सक्रिय रूप से भाग लिया । नराकास के क्रियाकलापों के लिए नियमित रूप से अंशदान भी दिया जाता है ।

अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन

मुख्यालय में दिनांक 22, नवम्बर 2012 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर के तत्वाधान में **चित्र अभिव्यक्ति (कहानी/काव्य लेखन) प्रतियोगिता** का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । प्रतियोगिता में नागपुर स्थित विभिन्न् कार्यालयों से कुल 35 प्रतियोगी सम्मिलित हुए थे ।

हिन्दी पत्रिका-विस्फोटक दर्पण-11

हिन्दी पखवाडे के अंतर्गत हिन्दी पत्रिका *विस्फोटक दर्पण अंक 11* का प्रकाशन किया गया । विभिन्न अंचल, उपअंचल, परीक्षण केंद्र तथा नागपूर कार्यालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों ने लेख, कहानियाँ, कवितायें, चुटकुले आदि लिखकर इसमें योगदान दिया ।

इसके अलावा संगठन का न्युजलेटर तथा आगरा कार्यालय द्वारा मध्यांचल दर्पण का प्रकाशन किया गया ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण कर लिया गया है । राजभाषा विभाग, ग`ह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है ।

हिन्दी कार्यशालाएं

संगठन के सभी कार्यालयो मे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी मे करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए चार कार्यशालाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन किया गया । राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई ।

हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मुख्यालय तथा संगठन के विभिन्न अंचल, उप-अंचल, विभागीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी दिवस के साथ-साथ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाडा बडे ही हर्षोउल्लास से मनाया गया ।

पखवाडे के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जैसे - हिन्दी टंकण, टिप्पण-आलेखन, निबंध, शब्द ज्ञान, चित्र पर आधारित कहानी, सुलेख, लोगो एवं पंचलाईन, अंताक्षरी तथा हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी । पखवाडे का मुख्य कार्यक्रम तथा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 2011 को मनाया गया । मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन एवं गृह मंत्रीजी का संदेश सभी को अनुपालनार्थ सुनाया गया । पखवाडे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

उपलब्धियां

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ठ योगदान के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा दिनांक 29**.06.2012** को 56 वी छमाही बैठक एवं नराकास पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2011-2012 के लिए कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **तृतीय पुरस्कार तथा हिन्दी गृह पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 11 हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया** । इस अवसर पर नराकास संपादक मंडल एवं कार्याकारी सदस्य के रूप में संगठन की हिन्दी अधिकारी श्रीमती वैशाली चिरडे को भी सम्मानित किया गया । मुख्यालय के श्री रजनीश पिपलानी, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया ।

इस अवसर पर मुख्यालय द्वारा आयोजित अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता "चित्र पर आधारित कहानी लेखन" में प्रतिभागियों द्वारा लिखित कहानियो के संकलन " अभिव्यक्ति 26/11" का मंचासीन वरिष्ठ एवं विशिष्ठ महानुभावों द्वारा विमोचन किया गया । डॉ. संजीव गोयल, सदस्य सचिव-नराकास एवं प्रधान वैज्ञानिक तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी द्वारा संपादित इस पुस्तक में मुंबई में 26/11 को हुई आतंकवादी घटना के एक ही चित्र पर विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी विविध आयामों को दर्शाती ऐसी 26 कहानियों को सम्मिलित किया गया हैं ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक आगरा कार्यालय

पेसो , आगरा कार्यालय को वर्ष 2010-11 के लिए राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया ।

दिनांक **23.03.2012** को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा देहरादून में राजभाषा सम्मेलन एवं क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल,आगरा को वर्ष 2010-2011 के लिए उत्तर क्षेत्र– 2 (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) में केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में **प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया ।

कार्यालयाध्यक्ष श्री कैलाश कुमार, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को एक शील्ड प्रदान की गई तथा तत्कालीन राजभाषा अधिकारी डा० संजय कुमार सिंह, उप-विस्फोटक नियंत्रक को वर्ष 2010-11 के दौरान संगठन द्वारा संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने में उनके सराहनीय योगदान के लिए व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कोलकाता कार्यालय

भारत सरकार, गृह मंत्रालय विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु वर्ष 2010-2011 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार वितरण हेतु दिनांक 09.02.2012 को आयोजित वार्षिक सम्मेलन का किया गया ।

उक्त सम्मेलन मे क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) के क्षेत्राधिकार के अन्तगर्त ग क्षेत्र मे केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयो मे संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पूर्वांचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है । पुरस्कार स्वरुप कार्यालय को राजभाषा शील्ड तथा तत्कालीन राजभाषा अधिकारी श्री एम.के.त्रिवेदी, विस्फोटक नियंत्रक को वर्ष 2010-2011 के दौरान संगठन द्वारा संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त करने में उनके सराहनीय योगदान के लिए व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृत परिसरों का निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारियों के (विभिन्न श्रेणियो के) अनेक पद रिक्त रहने के कारण हुए संसाधनो की कमी के बावजूद भी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृती प्राप्त खतरनाक परिसरों की निरीक्षण गतिविधियों पर बल देने के प्रयास किए गए।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत :

वर्ष के दौरान **9,905** इकाइयों (अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त **79,249** कुल इकाइयों में से) का निरीक्षण किया गया । यह कुल परिसरों में से **12.51%** के निरीक्षण के समतुल्य है । उपरोक्त निर्दिष्ट इकाइयों में विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत 4**,288** अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का, गैस सिलिण्डर नियमों के अंतर्गत **2,784** अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का तथा एसएमपीवी (यू) नियमों के अंतर्गत **2,833** अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण हुआ ।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत

वर्ष के दौरान **5,262** अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जो कुल **3.61%** अनुज्ञप्ति प्राप्त /स्वीकृति प्राप्त इकाइयों के **1,45,470** के समतुल्य है । उपरोक्त निरीक्षण में पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त /स्वीकृति प्राप्त **5,247** इकाइयों का, कैलशियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत **15** अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का समावेश है।

वर्ष **2011-12** में इस संगठन द्वारा, विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त और स्वीकृति प्राप्त इकाइयों की कुल **2,24,719** इकाइयों में से, **15,167 (6.75%)** परिसरों का निरीक्षण किया गया । विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों मे किए गए निरीक्षण की सांख्यिकीय जानकारी सारणी I और II में दी गई है तथा पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे सारणी III में दिए गए हैं ।

निरीक्षण के दौरान जहां भी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तो में कमियों, अनियमितता या उल्लंघन पाएं गए ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक को संशोधन/अनुपालन की दिशा में नोटिस देने की कार्रवाई की गई । उन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में जहां सुरक्षा खतरे में हो, अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर दिया गया या नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रकार तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया गया । नियमों के उल्लंघन के मामलों

में, सुरक्षित स्थितियों तथा तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित देखभाल के कदम उठाए गए ।

सारणी -।

वर्ष 2011-2012 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण						
अनु. क्र	**अधिनियम तथा नियम**	**01/04/11 को**	**वर्ष 2011-12 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां**	**वर्ष 11-12 के दौरान रद्द की गई अनुज्ञप्तियां**	**योग 31.3.2012 तक**	**वर्ष 11-12 के दौरान किए गये निरीक्षण**
1.	विस्फोटक नियम 2008	33068	4965	217	38033	4288
2.	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	17004	1760	47	18764	2784
3.	स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	16849	5603	473	22452	2833
4.	पेट्रोलियम नियम, 2002	124130	20671	117	144801	5247
5.	कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	668	1		669	15
	योग	**191719**	**33000**	**664**	**224719**	**15167**

सारणी -।।

विस्फोटक अधिनियम 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत अनुमोदित परिसर

(अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं)

गैस सिलेण्डर नियम, 2004	609
स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	225
पेट्रोलियम नियम, 2002	292

सारणी -III

पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे

विवरण	**वार्षिक संस्थापित लाइसेंस क्षमता**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
वर्ग 1 गन पाउडर (मेट्रिक टन)	1595.55	624	908.10	827.5	688.6	710.6
वर्ग 2 (क)कार्टिज (ख) साईट मिक्स **(मेट्रिक टन)**	580386.5 1350385	224817.0 334740.0	254807.8 343018.5	225615.2 389825.7	183533.7 359943.5	238193 483828
वर्ग 3 प्रभाग – 2 बूस्टर और पीईटीएन* **(मेट्रिक टन)**	16418.67	4090	3206	4449.3	3573.8	5063.1
वर्ग 6 प्रभाग – 1 सेफ्टी (मिलियन मीटर)	268.29	127	132	123.1	77	81.1
वर्ग 6 प्रभाग – 2 डिटोनैटिंग फ्यूज (मिलियन मीटर)	576.2	292	334	390.6	284.6	370.6

वर्ग 6 प्रभाग – 3 डिटोनैटर (मिलियन संख्या)	974	589	610	697.5	724.2	970.7

*PETN- Penta Erythritol Tetra Nitrate

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ

वर्ष 2011-2012

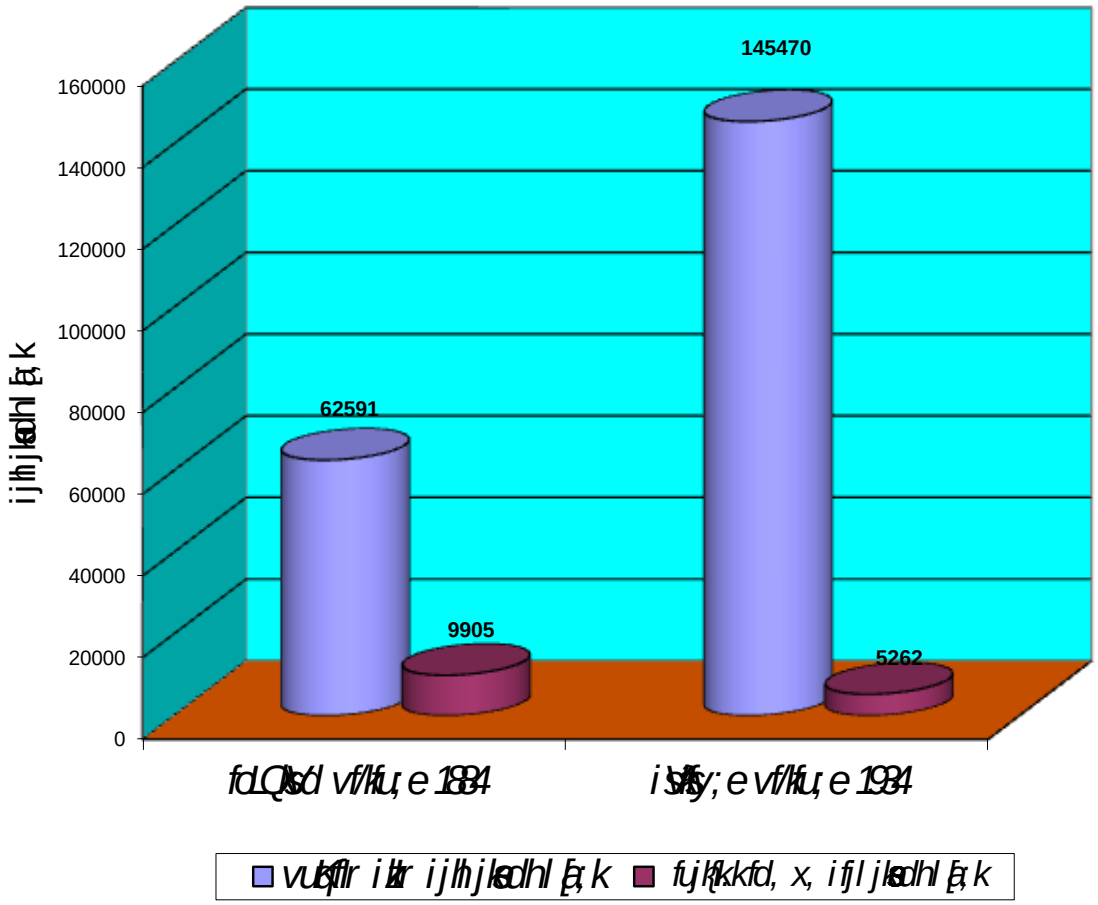

दुर्घटनाओं की जाँच
दक्षिण अंचल, चेन्नई

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. **दिनांक – 26/04/2011 - स्थान : ग्राम- नाथिकुडी, विरूधुनगर**
   मृत – 4, घायल – 3

   मेसर्स दी कोरेनेशन फायरवर्क्स फैक्टरी के संघटक शेड में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । संघटको के लापरवाही से हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी/आग, दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

2. **दिनांक - 16/05/2011 - स्थान : कुकूटपल्ली, जि. रंगारेड्डी**
   मृत - 1, घायल – 1

   मेसर्स गल्फ ऑयल लिमिटेड के बिल्डिंग नंबर 27-ए के क्रिम्पिंग क्यूबिकल नंबर 59 में कॉपर डिले डेटोनेटर के क्रिम्पिंग स्थानांतरित करते समय एक विस्फोट हुआ । एएसए संरचना में मौजूद लेड अज़ाइड की कॉपर के साथ रासायनिक प्रक्रिया होने से उच्च घर्षण संवेदनशील कॉपर अज़ाइड का निर्माण होना, विस्फोट का कारण हो सकता हैं ।

3. **दिनांक - 26/05/2011 - स्थान : बाजपे, मंगलौर जि.- डी.के.**
   मृत – 3, घायल – 4

   कॅवर्न के अंदर करीब 1600 बजे ब्लास्टिंग आपरेशन करते समय सुरक्षा इंजीनियर को कुछ मिस्फायर्ड सुराख दिखे । पूरे टीम द्वारा विस्फोटकों से युक्त विशाल बोल्डर को गुफा के बाहर लाने का फैसला लिया गया और बोल्डर को कॅवर्न के बाहर खुले स्थान पर लाकर अनलोड किया गया । मिस्फायर्ड विस्फोटकों को डीफ्यूज़ करते समय यह विस्फोट हुआ ।

4. **दिनांक - 04/06/2011 - स्थान : सेवलपट्टी, जि. विरूधुनगर**
   मृत – 2, घायल – कोई नही

   मेसर्स शक्ति फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विनिर्माण शेड में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । छर्रों में चिपके बालू के कणों के घर्षण से उत्पन्न चिंगारी दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

5. **दिनांक - 05/08/2011 - स्थान : कलायरकुरीची, जि. विरूधुनगर**
   मृत – 10, घायल – 2

मेसर्स सुप्रीम पायरोवर्क्स के संघटक शेड में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । संघटक शेड के पास बारूद प्रिमिक्स का लापरवाही से हैंडलिंग दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

6. **दिनांक - 12/08/2011 - स्थान : कुकूटपल्ली, जि. रंगारेड्डी**
मृत – 1, घायल – कोई नही

मेसर्स गल्फ ऑयल लिमिटेड के एएसए ड्राइंग बिल्डिंग नंबर 43-जी में एएसए के ड्राइंग से दौरान एक विस्फोट हुआ । एएसए संरचना में एल्यूमीनियम पाउडर के धूल के कणों की मौजूदगी या सुई के आकार के लेड अज़ाइड क्रिस्टल की मौजूदगी दुर्घटना के संभावित कारण हो सकते है ।

7. **दिनांक - 13/08/2011 - स्थान :अवूडयैरपूरम, जि. विरूधुनगर**
मृत – 4, घायल – कोई नही

मेसर्स विनयनगर कलर मैच फैक्टरी के डीप्ड स्प्लीन्ट रैक (डी एस आर) रूम में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । फ्रेम को हटाते समय हुई लापरवाही के कारण घर्षण होकर चिंगारी का उत्पन्न होना दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

8. **दिनांक - 03/10/2011 - स्थान : ग्राम- गंगाराकोट्टई, जि. विरूधुनगर**
मृत – कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडीयन नेशनल फायरवर्क्स के अतिशबाजी कारखाने में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । संवेदनशील संरचना संघटक के लापरवाही से हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न प्रभाव/घर्षण या स्टैटिक चार्ज के डिसिपेशन (क्षय) से धूल विस्फोट, दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

9. **दिनांक - 06/10/2011 - स्थान : ग्राम- वडापट्टी, जि. विरूधुनगर**
मृत – 2, घायल – कोई नही

मेसर्स श्री कृष्णा पायरो एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. के विनिर्माण शेड में अग्नि/विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई । कॉम्बिनेशन फायरवर्क्स के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रासायनिक संरचना के अपघटन (डिकंपोजिशन) के कारण दुर्घटना घटित हुई होगी ।

10. **दिनांक - 30/10/2011 - स्थान :पेड्डाकांडूकूर, जि. नालगोंडा**
मृत –कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स प्रीमियर एक्स्प्लोसिवेस लिमिटेड के डेटोनेटर विनिर्माण कारखाने में जब एएसए प्रेसींग कार्य जारी था एक अग्नि/विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का कारण प्रेस फायर हो सकता हैं ।

11. **दिनांक - 09/12/2011 - स्थान : दावंगेर, जि. दावंगेर**
मृत - 1, घायल – कोई नही

श्री मल्लिकार्जुन बाबू के अनुज्ञप्त अतिशबाजी के दुकान में एक व्यक्ति की दम घुट कर उस समय मौत हो गई जब अतिशबाजी की पेटियों को ठीक से रखने के लिए घसीटा जा रहा था और अचानक आग लग गई ।

12. **दिनांक - 28/12/2011 - स्थान मुदालीपट्टी, जिला - विरूधुनगर**
मृत – 4, घायल – 2

मेसर्स श्रीनिवास अमोर्सस इंडस्ट्रीज के ॥ स्टेज ड्राइंग शेड में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । सूखे अमोर्सेस शीट्स के लापरवाही से हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न प्रभाव/घर्षण दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

13. **दिनांक - 29/02/2012 - स्थान : ग्राम- पेड्डाकांडूकूर, जिला - नालगोंडा**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स प्रीमियर एक्स्प्लोसिवेस लिमिटेड के डेटोनेटर विनिर्माण कारखाने में जब एएसए प्रेसींग कार्य जारी था एक अग्नि/विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का कारण प्रेस फायर हो सकता हैं ।

14. **दिनांक - 07/03/2012 - स्थान : सीथुराजापुरम, जिला - विरूधुनगर**
मृत – 2, घायल – कोई नही

मेसर्स नॅशनल पेपर कॅप्स फॅक्टरी के ॥ स्टेज ड्राइंग शेड में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । सूखे अमोर्सेस शीट्स के लापरवाही से हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न प्रभाव/घर्षण दुर्घटना का कारण हो सकता हैं ।

15. **दिनांक - 09/03/2012 - स्थान : बोम्मलारामाराम, जिला - नालगोंडा**
मृत – 1, घायल – कोई नही

मेसर्स ए.पी. एक्स्प्लोसिवेस प्रा. लि. के एएसए ड्राइंग बिल्डींग नंबर 7 में एएसए सूखाते समय एक विस्फोट हुआ । दुर्घटना के संभावित कारणों की जाँच की जा रही हैं ।

16. **दिनांक - 26/03/2012 - स्थान : चित्याल, जिला - नालगोंडा**
मृत – 1, घायल – 3

मेसर्स ए.पी. एक्स्प्लोसिवेस प्रा. लि. के एएसए डोजिंग के दौरान समय एक विस्फोट हुआ । दुर्घटना के संभावित कारणों की जाँच की जा रही हैं ।

17. **दिनांक - 27/03/2012 - स्थान : संकरापंडीयापुरम, जिला - विरूधुनगर**
मृत – 2, घायल – कोई नही

मेसर्स स्टैण्डर्ड फायरवर्क्स प्रा. लि. के व्हाइट पाउडर फिलिंग शेड मे अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । व्हील (चक्रम) नामक आतिशबाजी के निर्माण में इस्तेमाल व्हाइट पाउडर संरचना के अपघटन (डिकंपोजिशन) के कारण दुर्घटना घटित हुई होगी ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक - 22/09/2011 - स्थान : चोक्काहल्ली, जिला – बंगलोर ग्रामीण**
   मृत – 1, घायल – कोई नही
   मेसर्स इंडो गैस टेक्नोलॉजीज, बंगलोर के सक्षम व्यक्ति द्वारा हायड्रो टेस्ट के दौरान एलपीजी भंडारण प्रेशर वेसल के फटने से दुर्घटना घटित हुई ।

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक - 02/07/2011 - स्थान : ग्राम - गूंटूर, जिला - गूंटूर**
   मृत - 1, घायल – कोई नही
   यह घटना मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक रिटेल आउटलेट, ए.वी. कृष्णा मूर्ति एंड संस के आर ओ कम्पाउन्ड वॉल और हीरो होंडा कोल्ड वर्क्स बे के बीच निर्मित सर्विस वॉटर पंप शेड (जहां दो पहिया वाहन की धुलाई होती है) में हुई । पानी के पाईप और धुलाई के लिए इस्तेमाल किया नोजल निरंतर विद्युत मोटर से जुडे होने के कारण उसका संचालन कर रहे व्यक्ति की विद्युत संपर्क से मृत्यु होने की संभावना हैं ।

2. **दिनांक - 21/01/2012 - स्थान : मेसर्स एमआरपीएल, मंगलौर जिला - डी.के.**
   मृत - 1, घायल – 5
   दो सम्प तेल-पानी सम्प और बारिश के दूषित पानी का सम्प एक दूसरे के निकट, सल्फर रिकवरी यूनिट चरण-2 के पास में स्थित हैं जो वर्ष 1999 में रिफाइनरी के चरण-2 के विस्तार के एक भाग के रूप में निर्मित हुए थे । रखरखाव के दौरान, कुछ हॉट वर्क किया जा रहा था । जिस फ्रेम पर पंप रखा गया था उसपर हॉट वर्क के दौरान एक विस्फोट हुआ और आग की लपटे निकली जिससे सम्प के शीर्ष की आधी आरसीसी स्लैब फट कर खुल गई । नतीजतन, सभी छह सदस्यों को चोटें आई तथा श्री नागेश की मृत्यु हो गई ।

अन-अनुज्ञप्त परिसर के अंतर्गत:

1. **दिनांक - 29/11/2011 - स्थान : मुचेरी, कोगड जिला - पालक्कड**
   मृत - कोई नही , घायल – 1

एक घने वन क्षेत्र में अनाधिकृत विस्फोटक विनिर्माण शेड में अग्नि/विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई । बारूद संरचना भरने के समय घर्षण से चिंगारी का उत्पन्न होना, दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है।

1. **दिनांक - 15/03/2012 - स्थान : वालाजापेट जिला - वेल्लूर**

   मृत – 1 , घायल – 1

   अनधिकृत आतिशबाजी विनिर्माण परिसर में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई ।

दुर्घटना की जाँच

पश्चिम अंचल, मुंबई

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक - 18/04/2011 - स्थान : जुआरीनगर जिला : दक्षिण गोवा**

   मृत - कोई नही, घायल – 6

   मेसर्स गेल द्वारा नियोजित आउटसोर्सिंग एजेंसी को गैस रिसीविंग स्टेशन के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए नींव डालने का कार्य सौपा गया था । इस एजेंसी को खुदाई कार्य करते हुए नीचे बिछाई गई नेफ्था पाइप लाइन के मार्ग के अपेक्षित ज्ञान नहीं था । जेसीबी के सीधे पाइपलाइन से टकराने से एक आयताकार छेद बना जिससे नेफ्था फूट पडा और हाय टेंशन वायर से टकराया जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई ।

2. **दिनांक - 19/05/2011 - स्थान : ढगा जिला - नागपुर, महाराष्ट्र**

   मृत – 1, घायल – 1

   मेसर्से एएमए इंडस्ट्रिज लिमिटेड के एक भंडारण गोदाम में दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना के संभावित कारणों की जाँच की जा रही हैं ।

3. **दिनांक - 08/06/2011 - स्थान : पंचवटी, जिला - नाशिक, महाराष्ट्र**

   मृत – 3, घायल – 11

   श्री मनोहर रामचंद्र गुरनानी द्वारा एक तीन मंजिला इमारत के भूतल में अनधिकृत आतिशबाजी का विनिर्माण किया जा रहा था । ऐटम बम/ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे के विनिर्माण के लिए गुडका पाउच मशीन में फ्लैश संरचना (KNO3, S, Al) भरने के दौरान हुई दुर्घटना घटित हुई ।

4. **दिनांक - 20/02/2012 - स्थान : मंगलवेढा, जिला - सोलापूर, महाराष्ट्र**
मृत – 4, घायल – 11

मेसर्से सागर फायरवर्क्स के आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने से सटे एक अनधिकृत शेड में एक दुर्घटना घटित हुई । वहां ऐटम बम, लक्ष्मी पटाखे, चीनी पटाखे और फैंसी आतिशबाजी का अनधिकृत रूप से विनिर्मिण किया गया जा रहा था । दुर्घटना तब घटित हुई जब बारूद से लेपित अत्यधिक संवेदनशील बॉल और पैलेट्स सुखाने के बाद बोरे/पॉलिथीन बैग में भरे गए तथा उन्हें जमीन पर घसीटा गया जिसके परिणामस्वरूप आग लग गई ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक - 29/08/2011 - स्थान : जीआईडीसी, वापी जिला - वलसद, गुजरात**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

सिलेंडर के लापरवाही से हैंडलिंग के कारण क्लोरीन गैस टोनर से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ । खाली सिलेंडर के बजाय मॅनीफोल्ड से जुडा भरा सिलेंडर ओवरहेड क्रेन की मदद से उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप सिलेंडर वाल्व को मॅनीफोल्ड वाल्व से जोडने वाला कॉपर टयूबिंग टूट गया और क्लोरीन गैस का अत्याधिक रिसाव हुआ ।

2. **दिनांक - 13/03/2012 - स्थान : सेक्टर – 21, जिला - गांधीनगर, गुजरात**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोलियम-कम-सीएनजी ऑनलाइन स्टेशन के भीतर एक मारुति रिट्ज कार में फिट किए गए सीएनजी सिलेंडर में सीएनजी भरते समय अग्नि दुर्घटना घटित हुई । कार में सीएनजी सिलेंडर रेट्रोफिटेड सीएनजी किट के जरिए फिट किया गया था । सिलेंडर का फिलिंग पॉइन्ट बॅटरी टर्मिनल के करीब स्थित था । सीएनजी भरने की प्रक्रिया में फिलिंग नोजल के गलत फिटिंग की वजह से गैस का रिसाव हुआ होगा जिसे बॅटरी टर्मिनल से उत्पन्न चिंगारी ने प्रज्वलित कर दिया होगा । उसके बाद में आग बहुत बढ गई जिसमें कार और सीएनजी डिस्पेंसर दोनों का ही काफी नुकसान हो गया ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:</u>

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 18/07/2011 - स्थान : उमरेथ , जिला - आनंद, गुजरात**
मृत – 1, घायल – कोई नही

मेसर्स आईओसीएल के पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के सेल्स बिल्डिंग में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । तेल भंडारण कक्ष में भीतर आने वाली केबल/ इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड में संभवत: वोल्टेज अचानक बढने के कारण शार्ट सर्किट हो गया जिससे चिंगारी उत्पन्न होकर तथा कमरे में रखी स्टेशनेरी में आग लग गई ।

2. **दिनांक : 02/09/2011 - स्थान : रिसोड , जिला - वाशिम**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स आईओसीएल के रिटेल आउटलेट में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । रिसोड पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआयआर के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर डिस्पेंसिंग पंप्स और रिटेल आउटलेट के फिल पाइप के निकट आग लगा दी ।

3. **दिनांक : 07/09/2011 - स्थान : नेशनल हाई वे 8, किम से 10 किलोमीटर दूर, जिला – सूरत, गुजरात**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

बेंजीन ले जान रहा पेट्रोलियम टैंकर एक पशु को बचाने के प्रयास में पलट गया जिसमें आग लग गई ।

4. **दिनांक : 04/10/2011 - स्थान : जीआईडीसी, वापी जिला - वलसाद, गुजरात**
मृत – 1, घायल – कोई नही

एक मिनी पेट्रोलियम रिफाइनरी (डिस्टीलेशन यूनिट) में उस समय एक दुर्घटना घटित हुई जब विद्युत संचालित पंप से प्लास्टिक/रबर ट्यूब के सहायता से कच्चे तेल को प्लास्टिक और स्टील बैरल से उतारा जा रहा था । प्लास्टिक की नली और बैरल के बीच के सुराखों से पेट्रोलियम वाष्प बैरल के बाहर से निकली जिससे आसपास पेट्रोलियम वाष्प के बादल बन गए । तेल उतारने के प्रक्रिया में उत्पन्न स्टैटिक करंट ने मौजूदा पेट्रोलियम वाष्प को प्रज्वलित करना अग्नि दुर्घटना का कारण हो सकता है ।

5. **दिनांक : 24/11/2011 - स्थान : चेंबूर, जिला % मुंबई, महाराष्ट्र**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

एचपीसीएल के महूल रिफाइनरी में मेसर्स एचपीसीएल टर्मिनल के फिलिंग बे पर उस समय दुर्घटना घटित हुई जब ऑईल टैंकर में हेक्सेन के लोडिंग का कार्य प्रगति पर था । शॅफ्ट और मोटर बॉल बेरिंग के गलत अलाईनमेन्ट के कारण रिसाव हुआ । पंप के स्थिर और घूमनेवाला भाग के घर्षण के कारण उत्पन्न चिंगारी संभवत: प्रज्वलन का स्रोत हो सकता है ।

6. **दिनांक : 20/02/2012 - स्थान : सय्यदपुर जिला - सूरत, गुजरात**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स आईओसीएल के एक रिटेल आउटलेट में पेट्रोलियम टैंकर से वर्ग 'क' पेट्रोलियम के भूमिगत टैंक में अनलोडिंग के समय यह अग्नि दुर्घटना घटित हुई । भूमिगत टैंक के डिप ओपनिंग से पेट्रोलियम वाष्प उठने के कारण दुर्घटना घटित हुई । डिप रीडिंग लेने के बाद भूमिगत टैंक को बंद नही किया गया और टैंकर का अर्थिंग ठीक ना होने के कारण अनलोडिंग के समय स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होकर प्रज्वलन हुआ ।

7. **दिनांक : 16/03/2012 - स्थान : तारापुर चौकडी , जिला - आनंद, गुजरात**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स रिलायंस रिफायनरी, जामनगर से एक पेट्रोलियम टैंकर बेंजीन ले जा रहा था । टैंकर का डिस्चार्ज फॉसेट, मॅनीफोल्ड से जुडा था जिसमें से पेट्रोलियम का रिसाव हुआ होगा और जो वेल्डिंग के चिंगारी के साथ संपर्क में आकर यह दुर्घटना घटित हुई । पेट्रोलियम टैंकर के अवशेष एक वेल्डिंग की दुकान के सामने पाए गए जिससे पता चलता हैं कि ड्राइवर ने वेल्डिंग की दुकान के सामने मामूली मरम्मत/वेल्डिंग के लिए टैंकर को रखा था, जहां पहले से ही वेल्डिंग का कार्य जारी था ।

<u>दुर्घटना की जाँच</u>
मध्यांचल, आगरा

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>
गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 06/07/2011 - स्थान : छटिकारा , जिला - मथुरा**
मृत – 1, घायल – कोई नही

छत्ता शहर और ग्राम जयसिंगपुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के बीच 25 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हुई । छटिकारा गांव में वाल्व के पास पाइप लाइन के अंदर धमाका हुआ । नाइट्रोजन से लाइन के अनुचित शुद्धीकरण की वजह से दुर्घटना घटित हुई ।

2. **दिनांक : 08/08/2011 - स्थान : गादिअरजुड्डा , जिला - हरीद्वार**
मृत – 2, घायल – 1

ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स के लॉरी में लोडिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई । सिलेंडर के फिसलने से वाल्व टूट गया । सिलेंडर ने किसी रॉकेट के तरह काम किया और सिलेंडर फिलिंग शेड के दीवार से जा टकराया । दीवार में एक बड़ा सुराख हो गया । सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट के दीवार के करीब लोहे के फलक से टकराया और उसमें विस्फोट हो गया ।

दुर्घटना की जाँच

उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008 :-

1. **दिनांक : 22/08/2011 - स्थान : कुंजपुरा, जिला : करनाल, हरियाणा**
   मृत – 10, घायल – 9

   मेसर्स श्री कुमार फायरवर्क्स के आतिशबाजी निर्माण परिसर के भीतर के अनधिकृत अस्थायी शेड्स में आतिशबाजी निर्माण के दौरान एक विस्फोट हुआ । निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जानेवाले एक धातु के उपकरण से उत्पन्न चिंगारी के कारण अर्द्ध-निर्मित उत्पादों और आतिशबाजी संरचना में आग लगकर दुर्घटना घटित हुई ।

2. **दिनांक : 22/10/2011 - स्थान : अमृतसर, जिला : अमृतसर**
   मृत – कोई नही, घायल – कोई नही

   मेसर्स बिलामल शंभूनाथ के आतिशबाजी के दूकान के परिसर में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का संभावित कारण बिजली के वायरिंग में शार्ट सर्किट हो सकता है ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 16/01/2012 - स्थान : वसंत विहार, जिला : दिल्ली**
   मृत – 1, घायल – 6

   मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली की ए.एल.डी.एस. अधिष्ठापन में एक अग्नि दुर्घटना उस समय घटित हुई जब एक भूमिगत एलपीजी वेसल को हाइड्रो स्टैटीक परीक्षण के लिए तैयार करने से लिए डी-गैस किया जा रहा था । यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेसल एलपीजी से पूरी तरह से खाली हैं, पोत का मैनहोल कवर पहले खोला गया । जैसे ही कवर खोला गया, उसमें से एलपीजी की वाष्प निकली और प्रज्वलन के किसी स्रोत के संपर्क में आ गई । इससे लगी आग ने मैनहोल कवर के पास काम कर रहे श्रमिकों को घेर लिया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 23/04/2011 - स्थान : रोहिणी, जिला - दिल्ली**
   मृत – कोई नही , घायल – कोई नही

मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी आउटलेट में अंदर आने वाली सीएनजी लाइन के उभरे हुए किनारे के खोलने और सफाई के दौरान एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । पासिंग वाल्व के कारण उच्च दबाव पर सीएनजी लीक हो गया । उसी समय एक मध्यवर्ती उभरा हुआ किनारा कॉक्रीट के प्लेटफार्म पर आ गिरा जिससे शायद चिंगारी उत्पन्न हुई और सीएनजी प्रज्वलित होकर एक विस्फोट हुआ जिसके बाद आग लग गई ।

2. **दिनांक : 19/07/2011 - स्थान : नज़ाफगढ, जिला – दिल्ली**
मृत – 1, घायल – 3

मेसर्स ग्लोबल एयर के गैस सिलेंडर फिलिंग कम स्टोरेज अधिष्ठापन में एक विस्फोट हुआ । विस्फोट उस समय हुआ जब एक ऐसे अनधिकृत सिलेंडर को भरा जा था, जिसके भरे जाने हेतु उपयुक्तता की जाँच पहले नहीं की गई थी ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934</u>

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 26/04/2011 - स्थान : जोधपुर, जिला – जोधपुर**
मृत - कोई नही, घायल – 2

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम वर्ग 'क' के अनलोडिंग के दौरान यह दुर्घटना घटित हुई । टैंकर के निर्वहन नल से पेट्रोलियम उत्पाद का रिसाव हुआ जिससे लीक पॉइन्ट के आसपास घने पेट्रोलियम वाष्प बनने से दुर्घटना घटित हुई । उसके बाद पेट्रोलियम-हवा मिश्रण में किसी बाहरी स्रोत शायद वाहन के एक्सहॉस्ट से उत्पन्न चिंगारी से इग्निशन के कारण आग लग गई ।

2. **दिनांक : 29/10/2011 - स्थान : जोधपुर, जिला – जोधपुर**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम वर्ग 'क' के अनलोडिंग के दौरान यह दुर्घटना घटित हुई । अनलोडिंग के समय सैम्पलिंग भी जारी था । सैम्पलिंग एक खुली बाल्टी में किया जा रहा था जिसे ठीक से अर्थिंग नहीं किया गया था । खुली बाल्टी से निकलती पेट्रोलियम वाष्प और टैंकर के लीक करते डिस्चार्ज वाल्व से हवा पेट्रोलियम वाष्प का प्रमाण बढ गया । उसके बाद पेट्रोलियम-हवा मिश्रण में किसी बाहरी स्रोत शायद वाहन के एक्सहॉस्ट से उत्पन्न चिंगारी से इग्निशन के कारण आग लग गई ।

3. **दिनांक : 18/11/2011 - स्थान : वसंत कुंज, जिला – नई दिल्ली**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । शॉर्ट सर्किट के कारण लूब्रीकेन्ट ऑइल स्टोर रूम में आग लग गई जिसने पूरे रिटेल आउटलेट को अपने चपेट में ले लिया ।

4. **दिनांक : 19/03/2012 - स्थान : संगनेरी, जिला – भीलवाड़ा**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में अग्नि दुर्घटना घटित हुई जिसमें एक रोड टैंकर शामिल था । जिस समय टैंकर से रिटेल आउटलेट के एक भूमिगत टैंक एमएस के डीकैटेशन का कार्य जारी था, होज़ के कपलिंग जॉइन्ट और टैंकर के 2 कंपार्टमेन्ट के निर्वहन नल के बीच में आग शुरू हुई । लेकिन आग बुझाने के दौरान भूमिगत टैंक के फिल पॉईन्ट से होज़ का कनेक्शन कट गया था और इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व की विफलता की वजह भारी मात्रा में एमएस छलक गया । इस छलके हुए एमएस में भी आग लग गई जिससे पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया ।

दुर्घटना की जाँच
पूर्वांचल, कोलकाता

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:
विस्फोटक नियम, 2008:-

1. **दिनांक : 04/04/2011 - स्थान : छूटूपालू, ओरमांझिम, रांची, झारखंड**
मृत - कोई नही, घायल –1

10 टन वर्ग 2 विस्फोटक और 9000 मीटर डेटोनेटिंग फ्यूज ले जा रही एक विस्फोटक वैन घाटी में गिर गई । ड्राइवर द्वारा लापरवाही से गाडी चलाना और विस्फोटक वैन के ब्रेक फेल होना दुर्घटना का संभावित कारण हैं ।

2. **दिनांक : 17/12/2011 - स्थान : गोमिया**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स ओरिका इंडस्ट्रीज के डिटोनेटिंग फ्यूज प्लांट के सेफ्टी फ्यूज स्पिनिंग कंपार्टमेंन्ट में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । मेटेलिक गार्ड और पुली के बीच घर्षण या फिर बेल्ट और ड्राइव पुली के बीच घर्षण आग के संभावित कारण हो सकते हैं या फिर पुली और बेल्ट के बीच PETN धूल में तपन से आग लग सकती हैं ।

3. **दिनांक : 25/02/2012 स्थान : मेसर्स ओएनजीसी, अशोक नगर, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल**
मृत – 1, घायल – कोई नही

लॉगिंग हेतु जमीन पर रखे प्राइम्ड विस्फोटकों के हैंडलिंग के दौरान एक विस्फोट हुआ । मृतक व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 08/06/2011 - स्थान: एचपीसीएल रिटेल आउटलेट, मउलाली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल**
   मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

   डीजी रूम में बिजली के मीटर और नियंत्रण कक्ष केबल जंक्शन बॉक्स के पास आग लगी । आर्मर्ड केबल लाइन में अचानक बिजली की एक तेज लहर प्रवाहित होने से जंक्शन बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होना दुर्घटना का संभावित कारण हैं ।

2. **दिनांक : 10/01/2012 - स्थान : आइओसीएल, रिफाइनरी, नूनमाटी, गुवाहाटी, असम**
   मृत - कोई नही, घायल – 13
   स्लोप टैंक नंबर 56 में आग लग गई । स्लोप टैंक से करीब 19 मीटर की दूरी पर एक वेल्डिंग मशीन और स्थानीय बिजली के पैनल पाए गए । संभवत: कुछ वेल्डिंग काम जारी था । स्लोप टैंक से तेजी से आ रही हाइड्रोकार्बन वाष्प विद्युत चिंगारी से प्रज्वलित होनेसे अग्नि दुर्घटना घटित हुई ।

3. **दिनांक : 17/01/2012 - स्थान : बीपीसीएल रिटेल आउटलेट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल**
   मृत - कोई नही, घायल – 1

   एक रिटेल आउटलेट के सर्विस सेन्टर में एक कार के टैंक में गलती से डीजल के बजाय भरा हुआ पेट्रोल खाली करने के दौरान आग लग गई । दुर्घटना के संभाव्य कारण कार के फ्यूल टैंक को खाली करने के दौरान पेट्रोल फर्श पर छलका जिसमें फर्श पर गिरे इलैट्रिक लैंप के फ्लैश से आग लग गई ।

<u>गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-</u>

1. **दिनांक : 09/04/2011 - स्थान : वेदव्यास, राउरकेला, सुंदरगढ, ओडिशा**
   मृत – 3 , घायल – 2

   मेसर्स एशियाटिक गैसेस लिमिटेड के डिज़ाल्व्ड एसिटिलीन फिलिंग और स्टोरेज परिसर एक विस्फोट और अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दोषपूर्ण पोरस मास के गैस सिलेंडर में एसिटिलीन भरने से गैस का अपघटन होकर विस्फोट होना या फिर सिलेंडर को अनुचित रूप से ठंडा के कारण एसिटिलीन का अपघटन होकर विस्फोट होना या फिर सिलेंडर में अधिकतम फिलिंग प्रेशर से ज्यादा गैस भरने से विस्फोट होना हो दुर्घटना के संभावित कारण सकते है ।

परिशिष्ट-1

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा

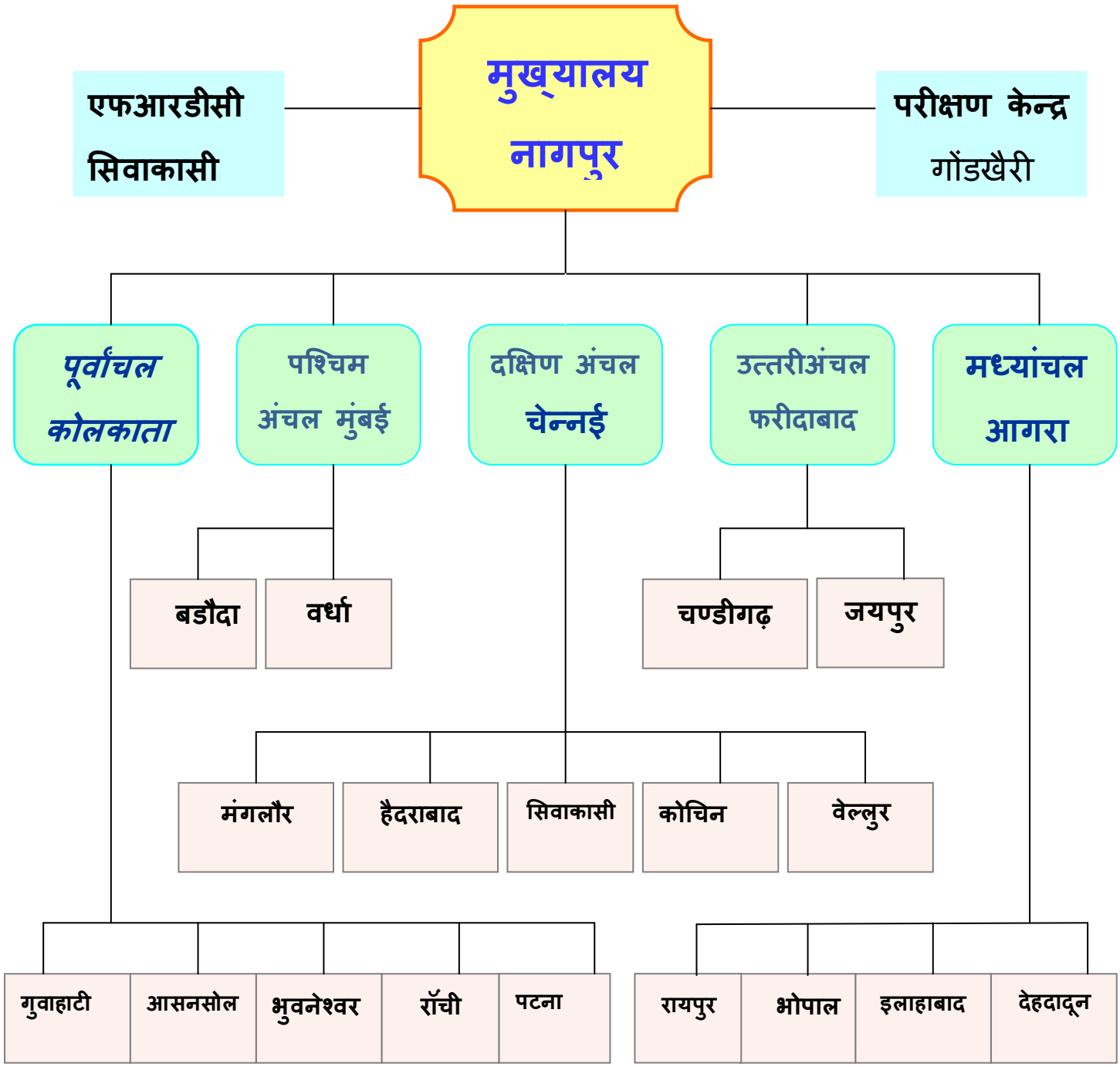

परिशिष्ट - 2

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

संख्या	अंचल तथा उपअंचल कार्यालय के नाम	पता	क्षेत्राधिकार	टेलिफोन और फॅक्स नं.
ए.	मुख्यालय ई मेल :- explosives@explosives.gov.in वेबसाईट :- http://peso.gov.in			
01	नागपुर	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, पॉचवा तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006	समस्त भारत	एस.टी.डी कोड :0712 दुरभाष : 2510103 2510580, 2510459 2510389, 2510579 2512006,2510072, 2512091,2510139, 2512093,2512094, 2511512 इपीएबीएक्स:2510248 फैक्स : 2510577 तार :Explosives
बी.	पश्चिम अंचल ई मेल :- jtccemumbai@explosives.gov.in			
01	मुम्बई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ए-1 ओर ए-2विंग केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, पॉचवा तल, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (महा.)	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दिव, दादरा और नगर हवेली	एस.टी.डीकोड : (022) दुरभाष :27564941 27573881 इपीएबीएक्स:27575946 फैक्स :27575967 तार :INSWEST
उपअंचल कार्यालय				
02	बडौदा	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 8वा तल, यशकमल बिल्डिंग, सयाजीगंज, बडौदा-390020	गुजरात	एस.टी.डी कोडः (0265) दुरभाष : 2361035, 2225159 फैक्स : 2225952 तार : Explosives
उपअंचल कार्यालय				
03	वर्धा	विस्फोटक नियंत्रक, गिताईनगर, धुनिवाले मठ के सामने नागपूर रोड, गोपुरी, वर्धा-442001	महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, अकोला, अमरावती, नांदेड, परभनी, बुलढाना जिले	एस.टी.डी कोडः(07152) दुरभाष : 245006, फैक्स : 230370

सी.	पूर्वांचल, कोलकाता	ई मेल :- jtccekolkata@explosives.gov.in		
01	कोलकाता	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पुर्वांचल, 8-एक्सप्लेनेड पूर्व, पहली मंजिल, कोलकता-700 069 (प.बं.)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा, असम, मनीपुर, त्रिपुरा, अरूणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	एस.टी.डी कोड : (033) दुरभाष : 22480427, 22486600, 22489524, 22420686 फैक्स : 22439322 तार : INSEAST
	उपअंचल कार्यालय			
02	आसनसोल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 93 शशिभुषण गोराई रोड, पो.ऑ. आसनसोल, जिला बर्दवान-713301 (प.बं.)	बर्दवान के जिले, बांकुरा, पुरूलिया, (पश्चिम बंगाल), और धनबाद (झारखंड)	एस.टी.डी कोडः (0341) दुरभाष : 2283967 फैक्स : 2283834 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
03	गुवाहाटी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जी.एन.बी. रोड भवन मैसन के पास, चौथी मंजिल, पंचवटी, सीलपुखारी, गुवाहाटी-781003 (असम)	असम, मनिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम	एस.टी.डी कोडः (0361) दुरभाष : 2662783 फैक्स : 2662503 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	रांची	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री मोहन बिल्डिंग, सीता कंपाउंड, 5, मेन रोड, सुशीला ऑटोमोबाइल्स, रांची 834001 (झारखंड)	झारखंड	एस.टी.डी कोड : (0651) दुरभाष :2332689, 2332690 फैक्स : 2332688 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
05	भुवनेश्वर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफ-35/ए, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014 जिला खुर्दा, ओडीशा	उडीसा	एस.टी.डी कोडः (0674) दुरभाष : 2433370, 2433390 फैक्स : 2430656 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
06	पटना	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पहली मंजिल,	बिहार	एस.टी.डी कोड : (0612)

		महावीर कॉम्प्लेक्स, आदर्श कालोनी, रोड नं. 2, खेमनीचौक, पो.ऑ. न्यू जनानपुरा, पटना 800027		दुरभाष : 2390914 फैक्स : 2390913
	दक्षिण अंचल, चेन्नई	ई मेल :- jtccechennai@explosives.gov.in		
01	चेन्नई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नं. 140, रूक्मणि लक्ष्मीपती रोड, मार्शलस रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008 (तमिलनाडू)	तामिलनाडू, कर्नाटक, केरल, आंधप्रदेश, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप	एस.टी.डी कोड : (044) दुरभाष : 28515464, 28419529, 28429945-47, 28515464 फैक्स : 28514848 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
02	एरनाकुलम	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सी-2, 3 रा माला, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीएसईझेड सामने, काक्कानाड, एरनाकुलम, कोची-682037 (केरल)	केरल,पाण्डिचेरी संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे	एस.टी.डी कोड : (0484) दुरभाष : 2427276, 2427286 फैक्स : 2427276 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
03	मंगलौर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दूसरी मंजिल, सिटी सेंटर, हॉटेल रूपा के सामने, बलमाता रोड, मंगलौर-575001 (कर्नाटक)	कर्नाटक	एस.टी.डी कोड: (0824) दुरभाष : 230453, 254402 फैक्स : 230233 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	सिवाकासी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफआरडीसी, एफएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी पश्चिम, सिवाकासी 626124 (तमिलनाडू)	तमिलनाडू के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरूनेलवेली, तंजावूर, थेनी, कन्याकुमारी, विरूदुनगर, टुटीकोरीन, डिन्डीगुल, मदुराई, डिन्डीगुल अंन्ना और नागापट्टीनम जिले	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254353 फैक्स : 255233 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			

05	वेल्लूर	विस्फोटक नियंत्रक, डी-57, पहली मंजिल काटपाडी रोड, गांधीनगर, वेल्लूर-632006 (तमिलनाडू)	तमिलनाडु के वेल्लूर धरमपुरी, तीरूवंनामलम, सालेम, ब्रोडे और कोईबंतुर जिले	एस.टी.डी कोड : (0416) दुरभाष : 2241642 फैक्स : 2242513
	उपअंचल कार्यालय			
06	हैद्राबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, केंद्रीय सदन, पहली मंजिल, सुलतान बाजार, कोटी, हैद्राबाद-500195, (आंध्रप्रदेश)	आंध्रप्रदेश, संघशासित क्षेत्र पांडीचेरी के अंतर्गत येनम	एस.टी.डी कोड : (040) दुरभाष : 24600359 फैक्स : 24617803 तार : Explosives
ई.	मध्यांचल	ई मेल :- jtcceagra@explosives.gov.in		
01	आगरा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 63/4, ए-विंग, दुसरी मंजील, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय पॅलेस, आगरा-282 002 (उ.प्र.)	उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगंढ	एस.टी.डी कोड: (0562) दुरभाष : 2521322, 2523244, 2523266 फैक्स : 2527436 तार : Explosives
	उप अचंल कार्यालय			
02	इलाहाबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-1, भवन नं. 66, लाजपत राय रोड, इलाहाबाद-211 001 (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, आजमगढ, बहराइच, बलरामपूर, बलियां, बाराबांकी, बस्ती, भदोही, चंदौली, देवरीया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंदा, गोरखंपुर, हरदोई, जौनपुर, कबीरनगर, कौशाम्बी, लाखीमपुर, खेरी, लखनउ, मिर्जापुर, मउ, महाराजगंज, प्रतापगढ, श्रावस्ती, सीध्दार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, बनारस, जिले	एस.टी.डी कोड: (0532) दुरभाष : 2250329, 2441491 फैक्स : 2644964
	उपअंचल कार्यालय			
03	भोपाल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ई-8/23, बसंत कुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462039	मध्यप्रदेश	एस.टी.डी कोड: (0755) दुरभाष : 2420775, 2445270 फैक्स : 2429997

				तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	देहरादून	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इंदिरा नगर, एशियन स्कूल, देहरादून 248006, उत्तराखंड	उत्तराखंड	एस.टी.डी कोड:(0135) दुरभाष : 2769780 फैक्स : 2769794
05	रायपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अवंती विहार कालोनी, मेन रोड, नाले के पास, रायपुर - 492006, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	एस.टी.डी कोड:(0771) दुरभाष : 2442204 फैक्स : 2442204
एफ.	उत्तरी अंचल कार्यालय jtccefaridabad@explosives.gov.in			
01	फरीदाबाद	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हॉल नं. 502, 507, लेवल 5, ब्लॉक नं. बी, पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	दिल्ली, जम्मु, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चंडीगढ़ के संघशासित क्षेत्र	एस.टी.डी कोड:(0129) दुरभाष : 2410730, 241770, 2410732, 2410734, 2410731, 2421388 फैक्स : 2410733
	उपअंचल कार्यालय			
02	चंडीगढ़	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शॉप कम ऑफिस बिल्डींग, 1134/1135, सेक्टर-22/बी, चंडीगढ़ - 160002	पंजाब, जम्मू और कश्मिर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़	एस.टी.डी कोड :(0172) दुरभाष : 2702586, 2727234 फैक्स : 2725839
	उपअंचल कार्यालय			
03	जयपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आम्रपाली रोड, आम्रपाली पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302004	राजस्थान	एस.टी.डी कोड: (0141) दुरभाष : 2356731, 2356781 फैक्स : 2350279
जी.	परिक्षण केंद्र			
01	गोंडखैरी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, परिक्षण केंद्र, 18 किमी, अमरावती रोड, गोंडखैरी, नागपुर-440023 (महा)	नागपुर, अमरावती	एस.टी.डी कोड:(07104) दुरभाष : 280374, 280305 फैक्स : 280565

एच.	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, (एफ.आर.डी.सी.)			
01	सिवाकासी	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, ग्राम - अनैयुर, ईएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी (पश्चिम), जिला- विरूदुनगर 626124 (तामिलनाडु)	-	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254402 फैक्स : 254404
आय.	वेतन तथा लेखा कार्यालय			
01	नागपुर	वेतन तथा लेखा अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, पहिली मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 (महा)	-	एस.टी.डी कोड: (0712) दुरभाष : 2510819 फैक्स : 2510819

परिशिष्ट-03

संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद

पद का नाम	मु.का.	डी.टी.एस. गोंडखैरी	एफआर डीसी	चेन्नई	कोलकाता	फरिदाबाद	आगरा	मुंबई	उप-अंचल कार्यालय	कुल
मु.वि.नि.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
सं.मु.वि.नि.	2	0	0	1	1	1	1	1	0	7
उप मु.वि.नि.	4	0	1	1	1	1	1	1	13	23
वि.नि.	6	1	1	5	4	4	4	5	16	46
उप वि.नि.-	2	1	2	7	6	3	4	6	29	60
प्र.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ले.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एस.पी.ए	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
हिं.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एस.टी.ए	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
एस.एच.टी.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
आशु.1	4	0	0	1	1	1	1	2	0	10
का.अ.	4	0	0	3	3	3	3	3	0	19
सहा.	9	1	0	2	2	3	2	2	13	34
पुस्त.सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
लेखापाल	1	0	0	1	1	1	1	1	0	6
उ.श्रे.लि.	12	2	1	9	8	4	5	9	21	71
नि.श्रे.लि.	18	1	1	5	3	3	4	4	19	58
आशुलि-**II**	2	1	0	1	1	1	1	1	13	21
आशुलि**-III**	1	0	1	2	1	1	1	1	13	21
जे.टी.ए.	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
जे.एच.टी.	0	0	0	1	1	1	1	1	0	5
चालक	2	1	1	1	1	1	1	1	13	22
ग्रुप डी	10	5	4	5	5	4	5	5	16	59
कुल	**84**	**20**	**16**	**45**	**39**	**32**	**35**	**43**	**166**	**480**

परिशिष्ट -04

वर्ष 2011-2012 के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

क्रं	विवरण	वर्ग	उत्पादन किलो/मीटर/संख्या
1	गन पावडर	1 प्रभाग 0	710672.960
2	नाईट्रेट मिश्रण	2 प्रभाग	238193072.030
3	एस एम ई	2 प्रभाग	483820917.765
4	पीईटीएन + कास्ट बुस्टर	3 प्रभाग 2	5062981.465
5	सेफ्टी फ्यूज	6 प्रभाग 1	81112815.000
6	डिटोनेटर फ्यूज	6 प्रभाग 2	370617904.000
7	सेफ्टी कार्टीज	6 प्रभाग 2	18567.214
8	फ्यूज हेड	6 प्रभाग 2	206806896.000
9	डिटोनेटर	6 प्रभाग 3	970709845.000
10	माइक्रो कॉर्ड	7 प्रभाग 3	175700.000

परिशिष्ट -05

विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात

आयात :-

वर्ष 2010-2011 के दौरान शॉर्ट डिले डिटोनेटर तथा विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के आयात के लिये **181 अनुज्ञप्तियां** प्रदान की गयी, जिनका प्रयोग आईल इंडिया लि., केर्न एनर्जी इंडिया लि., बी.जी.एक्प्लोरेशन अण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि., एचएलएस एशिया लि., आईल एण्ड नॅचरल गैस कॉर्पोरेशन लि., नीको रिसोर्सेस लि., रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि., जीओइन्प्रो पेट्रोलियम लि., ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉ. लि., जोशी टेक्नोलॉजीज इन्टरनॅशनल इंक., श्लुमबरजर एशिया सर्व्हीसेस लि., गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉ. लि., इलेक्ट्रोनीक्स कॉप. ऑफ इंडिया लि., इंडियन एक्स्प्लोझिव्स लि., राजस्थान एक्स्प्लोझिव्स एण्ड केमिकल लि., आयडियल डिटोनेटर प्रा. लि., सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलॉजी लि., फोकस एनर्जी लि., प्रीमिअर एक्स्प्लोझिव्स लि., ओएओ "गॅसप्रोम", प्रीमिअर आइल (नार्थ ईस्ट इंडीया) बीवी, इसार आइल लि., एण्ड मरीन सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एएस मोलूभोय एण्ड सन्स, एसएचएम शिपकेयर फॉर शिपिंग सिग्नल्स (पायरोटेक्निक्स) और श्रीजन सिस्टम प्रा.लि. पायरोटेक्नीक स्केयर कारट्रेजेस के प्रयोग हेतु (एण्टी बर्ड डिवायसेस), एअर पोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड एअर फोर्स स्टेशन के उपयोग के द्वारा किया गया । आयात किए गए विस्फोटको का मुल्य **रू 41.96 करोड** था ।

निर्यात :-

वर्ष 2011-2012 के दौरान **351 अनुज्ञप्तियां** निर्यात के लिये जारी कि गई । निर्यात किए गए विस्फोटको का मुल्य **र.219.91 करोड** था ।

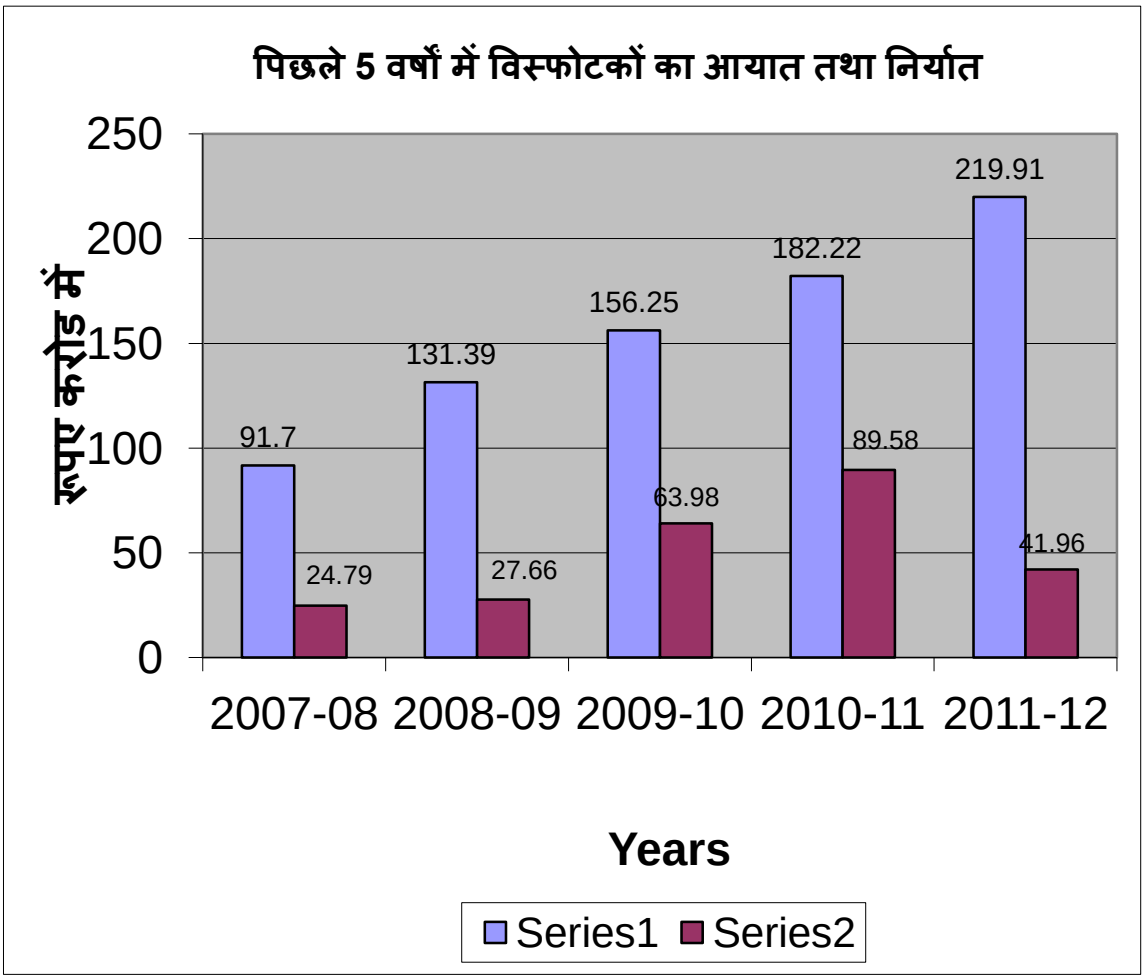
पिछले 5 वर्षों में विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात
250
200
150
100
50
0
रूपए करोड में
91.7
24.79
131.39
27.66
156.25
63.98
182.22
89.58
219.91
41.96
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
Years
Series1
Series2

परिशिष्ट -06

वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटकों का नष्टीकरण

वर्ग -1	3601.44
वर्ग -2	87698.035
वर्ग -3 प्रभाग 2	262
वर्ग -6 प्रभाग 1	170204.58
वर्ग -6 प्रभाग 2	70548.42
वर्ग -6 प्रभाग 3	1452120
वर्ग -7 प्रभाग 2	141294.395

परिशिष्ट -07

गैस सिलेण्डर्स, वाल्व तथा रेगुलेटर्स का उत्पादन, आयात और निर्यात

<u>गैस सिलेण्डर तथा वाल्व:</u>

वर्ष 2009-2010, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान सिलेण्डर वाल्व तथा रेग्युलेटरों के उत्पादन का तुलानात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. संख्या	उत्पाद का विवरण	वर्ष के दौरान विनिर्मित (संख्या)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	निम्नलिखित के लिए वेल्ड किये हुए लोड कार्बन स्टील गैस सिलेण्डर :			
क.	एलपीजी	1,03,82,622	1,02,36,540	1,01,20,400
ख.	डिजॉल्ड ऐसीटिलीन गैस	9,490	7,330	6,750
ग.	अन्य कम दाब वाली द्रवित गैस	5,64,803	5,30,200	3,35,650
	योग (क+ख+ग)	**1,09,56,915**	**1,07,74,074**	**1,04,62,800**
2.	**कम दाब वाले द्रवित गैस के लिए वेल्डेड बडे कन्टेनर**	50,291	40,450	37,740
3.	स्थायी तथा उच्च दाब के द्रवित गैस के लिए सीमलेस स्टील सिलेण्डर	**8,59,233**	**10,11,958**	**7,58,856**
4.	निम्नलिखित के लिए वाल्व:			
क.	एलपीजी सिलेंण्डर	2,02,38,717	1,70,15,200	1,75,13,390
ख.	अन्य गैस सिलेण्डरों के लिए	34,08,842	20,12,210	16,20,710
	योग (क+ख)	**2,36,47,559**	**1,90,27,410**	**1,91,34,100**
5.	कम दाबवाले द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर	74,90,626	55,80,000	57,70,000

<u>सिलेण्डरों का आयात</u> :

व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों को पुरा करने के लिए हाय प्यूरिटी पर्मनेन्ट गैस तथा गैस मिश्रण सिलेण्डरों में भरकर आयात करने की आवश्यकता होती है । इसलिए विभिन्न देशों से अधिक मात्रा में सिलेण्डरों के आयात के लिये स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है । वर्ष 2011-2012 के दौरान विभिन्न गैसो/गैस मिश्रण से भरे **<u>41,230</u>** सिलेण्डरों के आयात तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग हेतु खाली सीएनजी सिलेंडर सहित संपीडित गैस से भरने हेतु **<u>1,75,340</u>** खाली सिलेण्डरों के आयात के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई ।

<u>सिलेण्डरों का निर्यात</u> :

वर्ष 2011-2012 के दौरान कुल **<u>7,85,916</u>** भरे हुए सिलेण्डर्स का निर्यात हुआ जिससे **2,29,03,17,124/-** करोड रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

<u>वाल्व तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का निर्यात</u> :

कुल 2,25,220 वाल्व तथा 1,80,400 एलपीजी रेग्युलेटर्स का वर्ष 2010-2011 के दौरान निर्यात किया गया जिससे कुल रूपये **82,70,340/-** तथा रू. **35,40,380/-** की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

<u>सिलेण्डर्स में भरे संपीडीत गैस का निर्यात</u> :

वर्ष 2010-2011 के दौरान **6,254** खाली सिलेण्डर्स/कन्टेनर्स को आयात करके तथा गैस से भरकर पुन: निर्यात किया गया जिससे लगभग **32** करोड रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

<u>गैस भरण प्लान्ट</u> :

विभिन्न प्रकार की संपीडीत गैसों को सिलेण्डर्स में भरने के लिए दिनांक 31.03.2012 तक **1903** गैस भरण प्लान्टों को संगठन द्वारा अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की गई ।

परिशिष्ट-8

वॉल्व विनिर्माताओं की सूची

(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं	कंपनियों के नाम तथा पते	गैस सर्विस
1.	मेसर्स प्रिमली एंटरप्राईजेस	O_2 और एलपीजी
2.	मेसर्स इंडो फेब मेट्रो इंजिनियर्स	इंडस्ट्रियल गैस
3.	मेसर्स बेनझो ट्रियाना	CO_2 और O_2
4.	मेसर्स एन. के. ऑटो इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (प्रा) लि.	एलपीजी
5.	मेसर्स गोपाल सिलेण्डर युनिट III	एलपीजी
6.	मेसर्स एस्ट्रॉन वॉल्वटेक प्रा लि	एलपीजी
7.	मेसर्स दया इंडस्ट्रिज	एलपीजी
8.	मेसर्स यू पी टेलीलिंक्स लि.	एलपीजी
9.	मेसर्स परफेक्ट प्रोडक्ट्स	मल्टी फंक्शन वॉल्व
10	मेसर्स साहूवाला ऑटो फोर्ज एण्ड इंजिनियरिंग (प्रा) लि.	मल्टी फंक्शन वॉल्व

परिशिष्ट -09

एलपीजी सिलेण्डर्स के विनिर्माताओं की सूची

(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम. सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1	मे. रघुपती सिनर्जी प्रा. लि. 431-432ए, समनापल्ली रोड, ग्राम - अलुर, सिपकॉट, फेज II, होसुर- 635 109 (तमिलनाडु)
2	मे. रघुपती सिनर्जी प्रा. लि. युनिट II 431-432, समनापल्ली रोड, ग्राम - अलुर, सिपकॉट, फेज II, होसुर- 635 109 (तमिलनाडु)
3	मे. धर्मजा सिलेण्डर्स प्रा लि, 7-1-212/9, सिवाबाग, अमीरपेठ, हैदराबाद- 500 016
4	मे. तिरूपति सिलेण्डर्स लि. युनिट II ग्राम भांडुरा, 9 वा कि.मि. भोपा रोड, मुजफ्फरनगर- 251 001 (उ.प्र.)
5.	मे. आर. एम. सिलेण्डर्स प्रा.लि. युनिट II 404, विनायक अपार्टमेंट, डा. भूमन्ना लेन, बरकतपूरा, हैदराबाद- 500 029
6.	मे. इंडो सिलेण्डर्स, क्र सं 70/2ए और बी, 70/3 और 70/4, ग्राम बुदिहल, निलमंगला तालुका, बंगलौर ग्रामीण 262 123
7.	मे. बिहार सिलेण्डर, बायपास रोड, मोकामा, जिला पटना (बिहार)
8.	मे. साई सिलेण्डर्स प्रा लि, प्लॉट नं 1052, सुंदरनगर, टाटानगर, ग्राम पुरीहासा, जिला सिंहभूम, जमशेडपुर - 832 107 (झारखंड)
9.	मे. एशियन प्रेशर वेसल्स, एस.सी.एफ. 28, सेक्टर- 22डी, चण्डीगढ

एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1	मेसर्स एम. एस. एंटरप्रायजेस, 46-बी, मोहकमपूर इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-1, दिल्ली रोड, मेरठ (उ.प्र.)
2	मेसर्स राघव डाई कास्टिंग, सी-597, गली सं. 12, मजलिस पार्क,आझादपुर दिल्ली- 110 033
3	मेसर्स हर्ष एंटरप्राईजेस, प्लॉट नं. ई-804, 22 फीट रोड, दाबुआ कॉलनी, एन आय टी फरीदाबाद

ऑटो एलपीजी कंटेनर के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मे. आर. एम. सिलेण्डर्स प्रा. लि., युनिट II, 404 विनायक अपार्टमेंट्स, डा. भूमन्ना गली, बरकतपूरा, हैदराबाद- 500 029

वाल्व के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मे. इंडोफैब मेटप्रो इंजिनियर्स एलएलपी, एसवाय सं 112, डोम्मार्पोचमपल्ली, कुतुबुल्लापूर (एम), मंडल, जिला रंगारेड्डी (आ.प्र.)
2.	मे. विदर्भ गैस वेसल्स प्रा.लि., टी-43, एमआयडीसी, हिंगना रोड, नागपुर - 440 016
3.	मे. प्रभा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., 209, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, चण्डीगढ- 160 002
4.	मे. बेन्झो ट्रियाना, ए-62, सेक्टर 5, नोएडा (उ.प्र.)
5.	मे. प्रिमली एंटरप्राईजेस, प्लॉट नं. 143, 16/5, कारखाना बाग, पुराना फरीदाबाद, हरियाणा- 121 002

परिशिष्ट -11

अनुमोदित दाबपात्र फैब्रीकेटर की सूची
(01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मे. सिम्मको लि., भरतपूर, राजस्थान
2.	मे. प्रेशर वेसल (इंडिया), चाकन, तालुका -खेड, जिला- पूणे
3.	मे. युरेका इंजिनियरिंग वर्क्स, शामपूर शिब्तदा, हावडा
4.	मे. हीट मॅक्स इंजिनियरिंग कं, बहादुरगढ, झाज्जर, हरियाणा
5.	मे. स्पार्क इंजिनियर्स (युनिट ।।) भोसारी, पूणे
6.	मे. मॉडर्न इंडस्ट्रिज, जीटी रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद
7.	मे. सूर्या शक्ति वेसल्स प्रा. लि., असौती रेलवे स्टेशन रोड, बल्लभगढ, फरीदाबाद
8.	मे. आयओटी अनवेहसा इंजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लि. जीईबी सबस्टेशन के सामने, वडोदरा
9.	मे. विजय टैक्स एण्ड वेसल्स लि., गांधीधाम, कच्छ, गुजरात
10.	मे. जनता इंजिनियरिंग एण्ड कं., 136, सरन ग्राम, रालब रोड, एनआयटी रोड, फरीदाबाद
11.	मे. अल्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा. लि., छोपानके, अलवर, राजस्थान
12.	मे. क्रायोलर एशिया पॅसिफिक प्रा. लि., जीएसटी महामार्ग, कडाईमलाईपुतुर, थोझूपेडू पोस्ट, मदुरंकटम तालुका, जिला काछीपूरम,तमिलनाडु
13.	मे. युरेका फॅब्रिकेटर्स प्रा. लि., आनंदनगर, अंबरनाथ, थाने

परिशिष्ट – 12

01/04/2011 से 31/03/2012 के दौरान जारी की गई एसएमई/एएनएफओ अनुज्ञप्तियां

अ.क्र-	कंपनी का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने की तारीख
1	मे. बिनानी सिमेंट लिमिटेड	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम7(ई62133) एएनएफओ	06/09/2011
2	मे. रिजेनेसिस इंडस्ट्रिज प्रा. लिमिटेड	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/17(ई62562) एसएमई	12/09/2011
3	मे. रूंगटा माईन्स लिमिटेड	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/14(ई 53953) एएनएफओ	14/11/2011
4	मे. नवभारत फ्यूज कं. लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/16(ई 51810) एसएमई	05/01/2012
5	मे. सोलर इंडस्ट्रिज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/13(ई 66359) एसएमई	27/03/2012
6	मे. भारथी सिमेंट कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/18(ई 54470) एएनएफओ	29/03/2012

परिशिष्ट -13

2011-2012 के दौरान पेट्रोलियम वेसल्स के परिक्षण

मुंबई, अलंग (गुजरात), कोलकाता, विषाखापटनम्, मंगलौर, चेन्नई तथा कोचिन बंदरगाह पर स्थित पेट्रोलियम टैंकर वेसल्स के ऑईल टैंक पंप रूम, आदि के परिक्षण के पश्चात इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011-2012 के दौरान **2998 गैस-फ्री प्रमाणपत्र** जारी किये गए ।

यद्यपी शिप ब्रेकिंग याईस में पुरजे खोलकर तथा काटकर तोडने के लिए योग्य टँकर, पेट्रोलियम वहन पात्र नही है, फिर भी इससे जुडे/ संबंधित खतरो तथा कामगारो की सुरक्षा को देखते हुए, संगठन, डॉक एन्ट्री तथा मॅन एन्ट्री के प्रयोजन के लिए गैस-फ्री कंडीशन्स के जाँच तथा परीक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है । इससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को बढने तथा विश्व के दुसरे सबसे बडे रूप मे विकसित होने मे मदद हुई है ।

कोर्ट अटेंडन्स

वर्ष 2011-2012 के दौरान विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के विभिन्न प्रावधानो के तहत अभियोजन के मामलो में इस संगठन के अधिकारियों ने **42** मौको पर लॉ कोर्ट मे एक्स्पर्ट तकनिकी साक्ष्य दी ।

परिशिष्ट -14

01.04.2011 से 31.03.2012 के दौरान
रिफायनरी का कार्य

अनु .क्र.	परिष्करण शाला (रिफायनरी) का नाम	क्रुड ऑयल प्रोसेस्ड/ निर्माण	स्थापित क्षमता	एलपीजी निर्माण	एलपीजी बिक्री	दुर्घटनाओं की संख्या	निर्यात	
		एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी		संख्या एमटी	मूल्य (करोड में)
1.	आयसोसीएल, दिगबोई	0.651006	0.650000	0.008986	0.008986	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आयओसीएल, पानीपत	1.365871	1.500000	0.584522	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आयओसीएल, गुवाहाटी	1.117540	1.000000	0.048531	0.048015	1	शून्य	शून्य
4.	आयओसीएल, बरौनी	6.207406	6.000000	0.3404681	0.3387801	1	0.94923145	3516.362
5.	आयओसीएल, हल्दीया	6.878000	7.500000	0.181611	0.182065	शून्य	0.488942	1189.53
6	आयओसीएल, वडोदरा	13.561068	13.700000	0.420536	0.420616	शून्य	1.073486	3700.58
7	आयओसीएल, मथुरा	8.880000	8.000000	0.303940	0.304825	1	शून्य	शून्य
8	आयओसीएल, बोंगईगांव	2.008295	2.350000	0.044653	0.044653	शून्य	0.135939	535
9	एचपीसीएल, मुंबई	6.554	6.500	0.2538	0.2234	शून्य	0.41124	1395.38
10	एचपीसीएल, वैजाक	8.1996	8.300	0.2812	0.2795	2	0.797724	2396.55
11	बीपीसीएल, मुंबई	13.020000	12.000000	0.512	0.512	शून्य	1.83	6232
12	एस्सार ऑईल लि.	14.755609	10.500000	0.601227	0.595928	शून्य	13.990	शून्य
13	बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी	8.698313	9.500000	0.469665	0.466022	शून्य	0.722414	2059.58

14	सीपीसीएल कावेरी बेसिन रिफायनरी	0.00070330	1.000000	0.022763	0.022924	शून्य	0.034692	103.3
15	चेन्नई रिफायनरी	10.044560	10.500000	0.365669	0.364820	8 (2+6)	1.154333	3105.4
16	नुमालीगढ रिफायनरी आसाम	2.250225	3.000000	0.041887	0.042342	शून्य	शून्य	शून्य
17	आरआयएल जामनगर एसईझैड रिफायनरी डिवीजन	35.573	33.24	2.064	2.064	शून्य	29.849	101503
18	डीटीए रिफायनरी डिवीजन	31.047	37.82	0.607	0.607	शून्य	13.204	41.972
19	एमआरपीएल	12.639	11.82	0.300	0.298	शून्य	4.315	शून्य
20	भारत ओमान रिफायनरी	2.02	6.0	0.05	-	-	-	-
	योग	**185.471**	**190.88**	**7.502**	**7.163**	**13**	**68.956**	**125778.654**

कुल स्थापित क्षमता = **190.88** एमएमटी कुल क्रूड ऑयल प्रोसेस्ड = **185.471** एमएमटी

कुल निर्मित एलपीजी = **7.502** एमएमटी कुल निर्मित एलपीजी = **7.163** एमएमटी